407 Business Advisory MAGHA 22, 1880 (SAKA) Delhi Panchayat Raj 408 Committee (Amendment) Bill

I would invite attention of the House to what I said during the debate on the 18th of December 1958 explaining the reasons why the price of sugarcane cannot be raised The House by a clear vote accepted the view of the Government

Some Hon. Members rose-

Shri S. M. Banerjee (Kanpur). The hon Minister said that he was glad that the strike has fizzled out

Mr. Speaker: It is his view

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad) The Minister is acting as an agent of the strike breakers when he says he is glad

Mr. Speaker. No aspersions need be made

The calling attention notice has been answered The hon Members may take it for what it is worth

12-04 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-FOURTH REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha). Sir, I beg to move—

"That this House agrees with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th February, 1959"

Mr. Speaker: The question is

"That this House agrees

Shri Braj Raj Singh (Fırozabad) May I say a word, Sır? The time allotted for item No 4 is 3 hours It is a very important measure Although it is going to a Joint Committee, even then, the Joint Committee might be benefited by the views expressed by the hon Members here So, I suggest that Mr Speaker: What is the number of the item?

Shri Braj Baj Singh. Item No 4, the Arms Bill

Mr. Speaker: What is the suggestion?

Shri Braj Raj Singh: My suggestion is that a full day may be allotted

Shri Satya Narayan Sinha: It is to be referred to a Joint Committee

Mr. Speaker. When the decision was taken, I think the hon Member was there The matter has to be referred to a Joint Committee of both Houses

Shri Braj Raj Singh: That is why I submitted that the Joint Committee might be benefited by the views expressed here

Mr. Speaker The Speaker has always got the right to increase the time by one hour All that the hon Member wants will be satisfied if there is sufficient interest evinced in the House and when there is greater demand by hon Members to speak I am putting this to the vote of the house

The question is

"That this House agrees with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th February, 1959"

The motion was adopted

12-05 hrs.

DELHI PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) BILL

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): Sir, I move-

"That the Bill further to amend the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, be taken into consideration"

[Shri G B. Pant]

I had the privilege of moving the Land Reforms (Amendment) Bill which was passed by the House yesterday These two Bills, in reality, form part of the one integrated system This Bill is a small one, smaller than the Bill which was considered by the House yesterday Several of the remarks that I then made would be equally relevant to this also But, I would not like to take the time of the House just to reiterate what I then said

The Panchayat Raj Act provides for the administration of the rural affairs in the villages and in the circles to a large extent by the Gaon Sabhas elected by the Gaon Panchayats and the Circle Panchayats Unfortunately, there was a conflict between the provisions of the Delhi Land Reforms Act and the Delhi Panchayat Raj Act regarding the composition of these bodies which came in the way of efficient implementation of the Panchayat Raj Act That conflict is now being removed

The Gaon Sabha is to consist of the persons who are qualified to vote for the Member of Parliament from their constituency The Land Reforms Act had a different provision. It did not quite tally with this and a change has now been made in order to bring it in conformity with that provision, which will now, according to this Bill, be incorporated in it So, the hurdle that had to be crossed ın order to implement and give concrete shape to the provisions of the Panchayat Raj Act will now be crossed, and Panchayats will be formed ac cordingly That is one of the principal features of this Bill and, to that, there cannot possibly be any objection

Then, under the Panchayat Raj Act as it stands today, the Panchayats were competent to deal with civil and revenue cases within the limits prescribed fo that purpose But they had no j visdiction over criminal

cases It is now being proposed in this Bill that the Panchayati Adalat should also have the authority to dispose of criminal cases involving minor offences under the Indian Penal Code, the Cattle Trespass Act and also, I think, one or two other minor Act such as, perhaps, the Gambling Act Besides, the Chief Commissioner may confer further powers on such Panchayats or Panchayatı Ada'ats as may be qualified to exercise this enlarged jurisdiction and also try cases under other laws which do not involve a sentence of more than Rs 100 as fine That is one of the main provisions made in this amending Bill

The Gaon Sabhas will virtually consist of all the adult members who have the right of vote in a parliamentary constituency and that for all practical purposes includes almost all the adult persons living in the village Then there will also be a Circle Panchavat The Gaon Panchavat will be a small one and the Circle Pinchavat too will not be a big one It will, under the existing Act const of representatives elected by the Gaon Sabhas included in the circle A Circle Panchayat according to the Act is to be elected by eight Gaon Sabhas by the adults living in the villages These Gaon Sabhas elect the Circle Pinchayat and from among the e-members of the Circle Panchayat the Panchayat Adalats are to be formed So, due care has been paid to see that the Panchayats are so con 'ituted that they can be fully trusted to deal with the cases of the nature that have been entrusted to

In order that there may not be much rig dity, the Chief Commissioner is being au horised to vary the numbur of villages that should form the Circle Panchayat So, wherever, owing to special conditions such as populition being small or the area being too large, it becomes necessary to make any change The villages comprising need not necessarily be eight in number They can be adjusted in

them

the light of the local conditions It is necessary that these Panchayats, which have been given the power to deal with civil and revenue matters be also authorised to dispose of petty cases coming within the definition of criminal law They are not verv serious ones-at least those which will come within the jurisdiction of these panchayats And perhaps the issues involved and the interests affected in a number of civil and revenue cases may be of greater significance and importance than those which may have to be tackled in the cases which are now being brought within the jurisdiction of the Adalat Panchayats We want these local bodies in the rural areas to have more and more power to deal with their affairs and cases which involve considerable expenditure when they go to the court There are prolonged hearings, I think, sometimes over very patty matters and the simple way m which these things can be dealt with by the rural folk themselves would be preferable to the elaborate technicall les which have to be observed in our regular courts. But the cases, as I sad with which these Panchayati Adalats will be concerned, will be of a simpl character I hope it will be readily accepted by the Members of the House that people should be trained for the exercise of greater and greater powers and the more of oppor unities they get for this, the better will it be for all concerned There must be a feeling of partnership in the transaction of the business of the State So, this Panchayat Raj Act was framed and these chang's are now being made

In the Act, there is provision to the effect that by agreement any matter regardless of its value could be referred to a Panchayati Adalat We have now made a slight amendment to the effect that cases of the value which would admit of an appeal to the Sub-Judge could be so dealt with but not an unlimited amount For, we do not want unnecessary complications to be created In the course of the working of the Danchayats nor litigation to follow as a result of the decisions taken by Dancayats with regard to matters Which may really be of considerable Importance So, we are proposing an amindment According to the exisling Act, Government servants or Servants of local bodies could also be Inembers of the panchayats We have how provided that no official will be eligible whether serving under the Government or under a local body

These are the mam provisions The other clauses of the Bill are either Consequential or of a verbal character So I need not refer to them It 13 a very simple measure, and I my-Self had expected that it would be ha ed perhaps without any discuss on, in a short time I am told that three hours have been provided for It That shows that I did not appre-Gate the full significance, but that in a way gives me some satisfaction too, because I now feel that this Incasures is of greater importance then I had expected when it was conceived and when it was given shape So, when the Bill is passed, We will have done something really Worth doing I hope the hon Memhers will kindly accept this Bill and Jo n me in doing a good piece of work which will be appreciated by the heople living in the rural areas of Delhi

Shri Mohammed Imam (Chitaldurg) One point of information May I know how the Gaon Sabhas have been functioning since 1954 and whether any report can be placed on the Table of the House as to how they have been functioning whether the Working has been satisfactory or unsatisfactory

Shri G. B. Pant. The Bill took the shape of an Act called the Panchayat Itaj Act, 1954, which was passed in 1954 But it received the assent of the President m 1955 Then, when both these Acts were compared, -hese discrepancies were noticed to

[Shri G. B. Pant]

which I have referred. It was felt that no action could be taken till these discrepancies had been reconciled. So, the thing had to be held over, and in the meantime, the Delhi State Legislature was dissolved. We have now brought two Bills simultaneously—one dealing with the Land Reforms Act and the other with the Panchayat Raj Act There are some sort of committees in the villages doing some development work, but panchayats under this Act have not been formally constituted yet

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, be taken into consideration"

I have received notice of an amendment to the motion for consideration from Shri Raghubir Sahai, the motion being that the Bill be referred to a Select Committee consisting of some Members whom he has named He has included the name of the Minister-m-charge Has the hon Member consulted hon Members whose names he has mentioned, and has he obtained their consent?

Shri Raghubir Sahai (Budaun) I have consulted some, but not all

Mr. Speaker: The hon Minister's name also is here I wonder whether the hon Minister was consulted before his name was put m here

Shri G. B. Pant: I had no scent of it.

Mr. Speaker: I cannot allow it

Shri G. B. Pant. I do not think he is very serious about it

Mr. Speaker: It will be highly embarrassing to any hon. Member to withdraw when once his name is included without his consent. I would suggest that in future it should not be done.

Pandit . Thakur Das Bhargava: (Hissar): That would mean that no motion for reference to the Select Committee is possible without the consent of the Minister-in-charge. That would be very wrong. Hitherto, the practice has been that the Minister has always given his consent where there is a motion for reference to the Select Committee. It is for the House and for you to see whether the Bill should be referred to the Select Committee. But if you make it a precedent that unless the consent of the hon Minister-in-charge is obtained earlier, the motion cannot be made with his name, included, it would be difficult. Of course, all Ministers may not be like Pantji, and some hon Ministers may take it into their heads that the motion may not be made unless the hon Minister-incharge gives his consent to be on the Select Committee If you make it a rule that prior consent of the Minister-in-charge must be had, then it will become incumbent on the Member to obtain the consent of the Minister-m-charge his withholding the consent would be practically tentamount to no such motion being moved

Mr. Speaker: I am afraid the hon. Member is only repeating what he had raised at an earlier stage, in 1956 At that time, he raised the same question

"On the 26th November, 1956, to the motion that the Administration Evacuee Property of (Amendment) Bill be taken into consideration, Pandit Thakur Das Bhargava moved an amendment for reference of the Bill to a Select Committee consisting of 21 Members including the Minister-in-charge of the Bill, When the Deputy-Speaker enquired as to what was the reaction of the Minister-in-charge to the proposed amendment, the latter stated that he was not prepared to accept it. Thereupon. the Deputy-Speaker enquired from Pandit Thakur Das Bhargava if he had obtained the

consent of other Members whose names had been included in the Select Committee motion In reply Pandit Thakur Das Bhargava stated that he had not obtained the express consent of Members but their consent was implied The Deputy-Speaker thereupon observed

"The general rule is that consent should be first obtained I do not think that the consent should be presumed The rule is clear that the consent should first be obtained'"

So far as this point is concerned, it is not as if the motion is not going to be allowed and that the hon Minister is going to refuse to serve on the Select Committee All that I said was a Member should not bring m a motion for reference to the Select Committee in which names of Members are included without their consent. In this case, it may be necessary that the Minister-in-charge should be a Member, but only a Member Therefore, if he refuses to agree that would be a different matter If however he is a Member of the Select Committee, he may not be able to attend the meetings of the Select Committee or take part in them What I say is it does not preclude a reference to the Select Committee In giving the names, it is not incumbent on any hon Member who moves the motion for reference to the Select Committee to include the name of the Member or Minister without having his consent. That is what is objected to I am not going to allow this motion

Fandit Thakur Das Bhargava: When the list is read out any Member who does not want to become a Member of the Select Committee can say that he does not want to be included

Mr. Speaker: I do not follow that kind of implied consent. The consent may be implied, but when the hon Member has gone to the length of including the name of a Minister without his consent, I do not want to adopt this course of "wait and see' if the Minister would agree or not agree There must be consent I shall strictly enforce the rule

Shri Raghubir Sahai: I do not wish to dispute your ruling but just want to make one observation, namely, that this rule may not be construed very technically, because, it was not possible for me to obtain the consent of every Member whom I have inluded in this motion But I can say that if the hon Minister is opposed to the formation of the Select Committee I would be the last person to insist upon this motion being pressed

Mr. Speaker The point is, cannot the hon Member get the names of a few other hon Members for inclusion* There is nothing in the rules stating the Select Committee must consist of such and such a number of Members Only, the Selct Committee must have a quorum of 15th, just as there is a quorum for the House namely, 50 If there are only five Members in the Select Committee, then the quorum will be just one' Therefore, I insist upon the consent I would not allow the hon Member to give the names without having consulted the Members concerned He may have five, ten or 15 Members, whomsoever he likes In any case, without consulting, the Minister's name shall not be put down

Shri Bimal Ghose (Barrackpore) The matter would then come to this if the Minister should object, what is the good of moving the motion?

Mr. Speaker: That is left to him The House will be in possession of the motion, only when I place it before the House, so that no hon Member is entitled to withdraw the motion without the consent of the House Till then, he can make any statement, but not move it. I take it that he is not making this motion Shri C. K. Nair (Outer Delhi): I request you to permit the motion, because I consider it very important.

Mr. Speaker: I am not going to listen to recommendations of this kind Un'ess the hon Minister is agreeable, I cannot allow it

Shri Raghubir Sahai: Regretfully I remove the name of the hon Minister.

Mr. Speaker: Has he obtained the consent of the other hon Members?

Shri Raghubir Sahal: I have obtained the onsent of many of them

Mr. Speaker: He will read out only the names of those hon Mumbers whose consent he has obtained Let him make the motion, if even a single Member says that he was not consulted, I will not put the motion to the House

Shri Raghubir Sahai: I beg to move

"That the Bul be referred to a Select Committee consisting of Pand t Thakur Das Bhatgava. Shri Ridha Raman, Shri Raghubar Daval Misra, Shri Vishwambhar Dayal Tripa hi. Shri Mool Chand Jam, Shri K T K Tangamanı, Shri Kushwaqt Rai, Shri Ajıt Singh Sarhadı Shri Samat Prasad. Shii Ganpati Ram, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H C Dasappa, Shri Naushir Bharucha, Sardar Hukam Singh, Shri Jamal Khwaja Shri Shivram Rango Rane, Shri Naval Prabhakar. Dr Sushi a Nayar and the mover, with instructions to report by the first day of the next session "

Shri G. B. Pant: I would request the leave of the House to allow me to go now as I have some urgent work My friend, Shri Datar, is better qualified to deal with this than I am

Mr. Speaker: The House 13 not prepared to accept that statement, though I have no objection to permit the hon. Minister to go.

Shri Raghubir Sahai: At the very outset, I may say that I have no intention or any desire to delay unnecessarily the passage of this Bill, but my only complaint is that a Bill of the nature shou d have been more elaborate and comprehensive and it should serve as a model to very many other States where Panchayat Raj Towards the end of his Acts exist speech, the hon Home Minister also observed that he never realised before that this Bill would be of such great importance. I am thankful to him for these remarks

My contention is that this is a very sketchy Bill seeking to amend section 151 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 and making consequential changes in the Panchayat Raj Act, investing the Panchayats with criminal powers, thereby empowering them to decide criminal cases and awarding a sentence of Rs 100 as time They are invested with powers to decide criminal cases of a very minor character coming under the Indian Penal Code of the cattle Trespass Act of the Gambling Act

I feel that the village panchayats constitution a very big problem, in fact a burning problem of the day, as important as the co-operatives or perhaps even more important, because on the efficient working of these panchayats would depend the success or otherwise of so many of our plans My own experience is that there had been a great demand from most of the members of the informal consuitative committee on community development and many other persons interested in the subject that a model Bill relating to Panchayat Ray should be prepared here, so that it might serve as a model to so many other Sates in India When a Bill of this nature is being sponsored by the Home Ministry here, we expected that that Bill would have been a model Bill

Legislation on this subject exists in a'most every State, but you will find that it differs from State to State in regard to the jurisdiction of panchayats, the method of their election.

A19 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amendment) Bill A20

their functions or the resources at the disposal of the panchayats. What I feel is that there must be some similarity about these provisions, though of course, variations may be called for here and there according to the exigencies of the situation

We find that on 31st March, 1958 1,64,358 village panchayats existed all over the country But it is very important for us to consider how these panchayats spread over every part of the country excepting perhaps in West Bengal and Delhi have been functioning all this time Individual experience apart, I will quote the opinions about the working of these institutions from two authoritative sources, viz., the Fifth Report on the Working of Community Development and NES Blocks by the Programme Evaluation Organisation m 1958-that is perhaps the latest publication on this subject-and secondly, the report of the Study Team for Community Development and NES Blocks in 1957, better known as the Balwantrai Mehta Committee Report With your permission, I would quote certain remarks from these two pronouncements I would beg of you and hon Members of this House to note these observations very carefully

The fifth report of the Programme Evaluation Organisation says

"Our study does not show that the meeting of the Gaon Sabhas have been surcessful They have failed to evoke popular enthusiasm and have, generally speaking, proved ineffective Panchayats in many areas do not discharge even their elementary civic responsibilities adequately The load resting on their shoulders should be increased only as they gain experience and strength The standard of literacy among the members of the panchayats is very low As a result, the running of the institution is left largely to the President or Secretary, and when the panchayat members including the President are only half literate, the Secretary tends to run the institution for them rather than operate as its servant Our study shows that this has dampened the enthusiasm and thwarted the initiative of the panchayat members and given to the villagers the impression that the panchayat is merely an instrument of the higher government"

This is from the Evaluation Organisation Report Now I come to the Study team on Community Development Blocks It says

"The available information indicates that possibly not more than ten per cent of the total number of panchayats are functioning effectively The actual performance of panchayats is generally limited to making arrangements for sanitation, conservancy, construction and repair of fair weather roads, provision of domestic water supply and street lighting Even these simple and elementary civic functions are not being performed with the degree of efficiency over large areas Only a small number of panchayats, particularly those situated within or near the block areas have shown a zeal for development activities on an appreciable scale"

Then it says:

"Despite the multiplication of the number of panchayats, their achievements on the whole are modest and unevenly distributed among the States and within the States these are confined to relatively small areas There is a wide gap between the legislative framework and the actual work"

These are important remarks It further says

"The method of inspection contunues to be occasional routine visits for check up of registers

[Shri Raghubir Sahai]

maintained or required to be maintained by the panchayats, as against trying to solve their difficulties and stimulating them into constructive activity through persuasion and sympathetic understanding of the problems facing them, which is the prime need Lastly, complaints of discrimination in assessment are fairly common and there are not a few cases of deliberate victimisation There are heavy arrears in almost all States "

Now I have quoted copiously from these two authoritative pronouncements As I said, individual opinions about the working of these institutions may vary from individual to individual But these authoritative pronouncements cannot be brushed aside with contempt, because these two bodies have been on the spot and have examined things very minutely

When we are legislating for the panchayat raj here, the legislation should serve as a model for all the States in the country So we have to see how we can make these bodies affective and how the very purpose of the legislation can be carried out by these bodies and how they can be made an agent for all development works in the villages such as the grow more food campaign and numerous other problems in regard to development

At present what we find is that these village panchayats consider that they are saddled with certain routine duties which do not evoke any enthusiasm in them In fact, they do not feel enthusiastic about them Now the problem is how to make them more enthusistic I for one would suggest that besides imposing on them those routine duties of a municipal nature it would be worthwhile if we try to secure their confidence by asking these gaon sabhas to make reports on natural calamities such as damage done by floods, famine, loss of crops, loss of human life or cattle, pest or disease among cattle or epidemic, and if these reports are found to be correct then relief measures should be given effect to At the present moment, what we find is-I do not know about Delhi State, but about Uttar Pradesh and other States I can say with a certain amount of confidence-that all these duties are being discharged by the lekhpal, amin, patwari or the kanungo The people m the villages have got the least confidence in these agencies and they feel that their cases go by default Proper relief does not go to them and they are not being consulted in vital matters which affect them Now if we want these village panchayats to become live bodies then they should be called upon to submit reports with regard to losses that are incurred by them from time to time as a result of floods, famines and so on and so forth Then, whenever any relief is being distributed to village people, that should not be done only through the agency of the tehsildar or the kanungo or the lekhpal, it should be done under the eye of the President of the gaon sabha or the members of the village panchayat so that they may feel that they are being trusted. their advice is being looked upon with a certain amount of respect and in the distribution of relief they are also being given some hand

At the present moment, we find that these village bodies lack any community spirit So, we have to create that also If we want to make these bodies effective, we will have to inculcate the members of the gaon samaj and panchayat adalat that they act for the benefit of the community so that everyone of them will see that public funds are being utilized properly and they work in harmony with the officials that are being sent there All these things should have been borne in mind when a legislation of this kind was being drafted by the Home Ministry

423 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amendment) Bill 424

Coming to the nyaya parchayat, I will be the last person to oppose the nyaya panchayat being invested with powers to decide criminal cases But we should not shut our eyes to past experience about the administration of justice done through nyaya panchayats in other States So far as Uttar Pradesh is concerned, I can say that we have got a very regrettable experience about the working of these bodies. It is being said day in and day out give them more power I do want that more power should be given to them But certainly gambling with administration of justice should not be permitted Give them more power in every other respect, but so far as administration of justice is concerned, we should see that these powers are being given to them with proper checks and safeguards Suppose by the maladministration of justice done through these nyaya panchayats the people in the villages lose confidence in the very system of administration of justice, then what will happen? So, I would like the Minister in charge of this Bill to consider this aspect also from a very dispassionate point of view

I am glad to know that these nyaya panchayats will be constituted from a very large number of villages and care would be taken to see that the panches selected thereby come up to our expectations Some such recommendation was made by the Balwant Rai Committee also

Lastly, I would also make one observation that, because we expect so much from these village panchayats, every possible care should be taken to see that these village panchayats are kept free from all sorts of political influences in the elections We find from reports that there are already factions, there are already squabbles in the villages, and if political influences are being brought to bear on these, things will go from bad to worse I only expect that these villages will be kept free from political influences.

I also hope that the many points that I have made out will be borne in mind by the hon Minister My only purpose in moving this amendment seeking to refer this Bill to a Select Committee was that all these aspects should be considered I did not think it worthwhile to move a motion that the Bill should be circulated to elicit public opinion That would have taken more time But, in any case, so that it may satisfy public opinion all over the country, it should be more claborate, and more comprehensive

Mr. Speaker: Motion moved

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting ഹി Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Radha Raman, Shri Raghubar Dayal Misra, Shri Vishwambhar Dayal Tripathi, Shri Mool Chand Jam, Shri K T K Thangamani, Shri Khushwaqt Rai, Shri Ajit Singh Sarhadi, Shri Sumat Prasad, Shri Ganpati Ram, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H C Dasappa, Shri Naushir Bharucha. Sardar Hukam Singh, Shri Jamal Khwaja, Shri Shivram Rango Rane, Shri Naval Prabhakar, Dr Sushila Nayar and the mover, with instructions to report by the first day of the next session "

May I know how many hon Members would like to participate in this discussion

Some Hoa. Members rose-

Mr. Speaker: Three hours have been allotted for this Bill I find that 13 hon Members would like to speak on this If the motion to refer the Bill to a Select Committee is not carried, we have to dispose of this Bill How shall we divide the time allotted?

Shri Radha Raman (Chandni Chowk) 2½ hours for general discussion and half-an-hour for clause-byclause consideration

Mr. Speaker: Even at the rate of 15 minutes per Member I can only accommodate 10 Members Nearly 15 [Mr. Speaker]

hon, Members want to speak. The hon, Minister will also have to reply.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, I would suggest that those hon. Members who spoke yesterday on the Delhi Land Reforms (Amendment) Bill should not be given a chance today.

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): That Bill is different from this

Shri Radha Raman: This Bill relates to Delhi, and therefore Delhi Members should have their say

Mr. Speaker: I shall bear m mind that this Bill relates to Delhi and give preference to hon Members from Delhi Yesterdav, when it was suggested that both the Bills may be taken together it was stated that except for "Pradhan", "Upa-pradhan" and a few other terms which are taken from the other Act there is not much in common be ween the two Therefore, though there is some relation between the one and the other, I will proceed on the basis that this is absolutely a different Bill I shall allow ten minutes to each hon Member

बौ र का रिसिंह मध्यक्ष महोदय, मै की रघुवीर सहाय जी के संशोधन का विगेध करने के लिये खडा हुआ हू और वह इमलिये मैं मानता हूं कि मन् १९४४ के म्रन्दर एक कानून दिल्ली विधान सभा में पास किया गया ताकि देह तो के म्रन्टर पंचायते वनें भौर देहान का काम कुछ ठीक तरीके से चले और देहाती ककीलों से लुटने से बचें लेकिन किमी न किमी कारण से वह १९४४ ६४६ में मा गया । पांच साल बीत गये है, प्रब भी वकील साहब लोग चाहते हैं कि इस को कुछ और मागे बढ़ा दिया आय ।

भी प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : मैं उन वकीलों में से हूं जो पंचायतो के लिये ज्यादा पाचर चाहते हैं। ची॰ रचबीर सिंह : मुझे खुशी है कि जिन को मुखालि कत करनी चाहिये बी बह हमारे साथ सहमत हैं ।

मैं मर्ज कर रहा था कि हो सकता है कि इस कानून के मस्चिदे में मच्छे ढंग से तबदीली हो स.ं, लेकिन इसलिये कि हम कोई ऐसा मच्छा कानून बनायेंगे जिस में कोई गलती न रहेगी, हम इन्तजार में बैठे रहें मौर कयेटी बनायें, या लोगो के पास उन की राय जानने के िये इस को भेजे, यह ठीक नही है । म्रभी नागपुर के मन्दर ाप्रेम का ग्रधिवेशन हुमा । लोगों ने वहा पर कुछ म्रपना मत जाहिर किया कि सारे देश के मदर पचायतों को मजबृत बनाया जाय । इस से ज्यादा मेरे साथी लोगो मे क्या जानना चाहने है । लोगो की राय बिल्कुल मा 5 है कि सारे देश के म दर जन्दी से जल्दी पचायने बनें मौर वह मच्छे ढग में काम करे ।

मेरे लायक दोस्त न ग्रभी बताया कि पचायतो में कुछ लरात्रिया ग्रा जातो है गौर क, द हा उन के बारे में लोगो की राय खराब हो जाती है कि पंचायतो के म्रन्दर न्याय मच्छा नही मिलता । मै उन को बताना चाहता हं---इस को किसी की बेइज्जनी न माना जाय----कि देहानी ग्रादमी जो नैसले बडी बडी ग्रदालतों मे होने है उन में को र बहत ज्यादा खुश नहीं है। बहत ज्यादा उन की तसल्ली ही है कि बहा जो हैमले होने है वे बहुन मही ही होते हैं । हो सकता है काननी तौर पर शायद वे सही हो, लेकिन जब देहात के झन्दर गः कर देखा जाता है तो जो देहात में रहनं बाले साथी हैं वह वकीलो की बहम के बाद जो फैसले होते है उन को मच्छा नही बल्कि खराब मानते है। इस विषेयक में जो सब से ग्रण्डी चीज में पाता ह वह : ह है कि बकीलों को इस से च रच रक्ला गया है। वकीलो की वजह से कई द हा देहातों के भन्दर आसी सरावियां या जाती हैं। गांवों की पार्टीबाजियों ना जिस किस बचा

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की वार्टीबाजियों से बकीलों ढारा जो पार्टीवाजियां होती हैं वह ज्यादा नुक्सानदेह होनी है। इसलिये मुझे बहुत खुरी है कि वकीलो मे देहातों की कुछ हद नक जान छटी।

हो सकता है कि ज। पचायन के फैसले होते है उन को बकील लोग आगे वाली घदालतो में ले जायें और उन में किर पचायतो और देहातो को सीचें। ऐसा माज भी हम ने देखा है। उन्होने कुछ गिला किया कि हिन्द्स्तान के ग्रन्दर पचायतें ग्रच्छे ढग से काम नही कर रही है। इस के बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा नही कहना है। इसलिये भी कि ग्रासिर जो पचायती हैं उन की मर्जी के मुनाबिक समझ कर म्राप जिस कानन का मस्विदा बना कर भेज रहे है वह शायव बहुत ज्यादा ऐसा न हो । इम के भलावा जैसा मै ने कहा बढी बडी कानूनी किताबो को पड कर जो हैमले आज कराये जाते हैं भले ही वह कितने ही ग्रच्छे हो, लेकिन उन मे भी देहात वालो की तसल्ली बहत नही होती । इस -ी ग से कही कोई खराबी न पैदा हो जाय इसलिये हम झपना काम करना ही छोडे दें, इस 5 लिये मैं ग्रौर ज्यादा क्या कहू, सिवा इम के कि मै इसे मच्छी नीति नही मानना । इसलिये दिल्ली के देहातो की भलाई के लिये जितनी जल्दी पचायत राज कायम हो सके हमे उसे लाने की कोशिश करनी चाहिये भौर उसको चाहे महीने के लिए या साल के लिए यह जो धकेलने की कोशिश है वह सही कोशिश नही है और मै समझता हू कि श्री रघुवीर सहाय भी इस हद तक मेरे साथ सहमत है कि वे चाहने है कि जल्द यज जल्द पचायत राज्य देहली के देहातो मे कायम हो ।

13 hrs.

भ्राप्यक्ष महोदय, भ्रब यह हर एक सदस्य जानता है कि जहां कोई एक बिल एक दफ़ा सेलेक्ट कमेटी के पास गया वह साल या महीने के लिए बटाई में पड जाता है । घव इस दिल्ली के छोटे से सूबे के लिए इस कानृग को ग्राने ग्राने ५ साल लग ये । ग्राज सुबह मैंने छिक किया कि दिल्ली के देहातो के ग्रन्दर जो हमारे भूमिहीन ग्रामीण भाई बसते हैं उनको ग्रनाज किसी भाव भी नही मिलता है तो मत्री महोदय कहने हैं कि देहात के काश्त-कारो के पास, बडे बडे काश्तकारो ग्रीर जमीदागे के पास काफी ग्रनाज जमा है.

बी० रणवीर सिंह पजाव ग्रौर दिल्ली मे कोई खाम फर्क नही है। भूमिहीनो के लिये ग्रनाज चाहिये । मैं मानना हू कि पचायत राज्य कानून मे जो भाई शहर से मेम्बर है, उनके तार्बे की आवश्यकना नहीं है और न ही यह आवश्यक है कि वे दिल्ली के ही हो ग्रौर तजर्बे वाले हो क्योकि तजर्बे के बगैर ऐसे सदस्य जाकर इस कानून को पेचीदा झौर खराब ही बनायेंगे । इसलिए मैं तो कहगा कि करल, मदास और भाघ के वे भाई जिनका कि देहातो से ताल्ल्क हो झौर जिन्होने कि पचायत के कानून झौर पचायती ग्रदालतो के फैसले होने देखे है, ऐसे लोग इस पर बोले ग्रौर वे इस सम्बन्ध में कोई म्रपनी राय दे, यह बेहनर है बजाय इसके कि चुकि फला व्यक्ति दिल्ली से माने है मौर इसी बिना पर उनको ही राय देने दें यह ठीक नही होगा ।

देहात वालो को भामतौर पर इसकी शिकायत रहती है कि उनकी चीजो के मन्दर शहर वाले भाई चुकि वे ज्यादा बोलने वाले होते है ग्रौर उनके पास भलवार होते है इसलिए वे उनके मामलात में दखल देकर उनको लराव करते रहते हैं। भव जहा तक पचायतो को शक्ति देने के बारे में उनके

[ची॰ रणबीर सिर]

मिले का ताल्लुक है, हो सकता है कि मैं छायद उनकी भावनामों को ठीक तरीके से न समझ पाया हू लेकिन मै एक बात मामता हू कि जिस कानूनी घक्ति को पचायतों को देने का उन्होने विरोध किया तो उसके लिए मेरा कहना है कि पचायतो को खाली कानूनी घक्ति देने भर से वे वाटरवर्क्स नही बना सकती हैं और न ही वह गावो को एलेक्ट्रिफाई कर सकती हैं और विजली के लट्टू लगा सकती है, विजली और पानी की सुविधामो को पहुचाने के लिए तो पचायत को रुपये की दरकार है। पहले झाप पंचायतो को रुपया दीजिये उसके बाद फिर इन चीजो का गिला कीजिये ।

४८०० करोड रुपया जो पाच माला योजना के ग्रन्दर रखा है, क्या भापने यह जातने की कोशिश की कि इस ४८०० करोड में से पचायतो की मार्फत कितना रुपया खर्च करन का इरादा है ? मुझ्किल से ३४ करोड रुपया रखा हम्रा है जो कि पचायनो की मार्फत खर्च होगा । भ्रब ३४ ३४ कराड के लिए तो गिला करते हैं लेकिन जो ४८०० करोड है उसका कुछ जित्र नही और इसमे हमें भ्रदेशा होता है कि हमारे वह साथी किधर सोचते है। मैं चाहगा कि वे अगर गिला करना चाहने है नो भले ही करे लेकिन कम से कम इस चीज में ता मरे साथ प्रवश्य रहें कि पचायत के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले झौर थई फाइब ईयर प्लान जो झाते झाने वाला है झौर सेवेड फाइव ईयर कान के जो सभी दो माल बचे है उसके झन्दर क्यादा के ज्यादा रुपया पचायनो की नरक्की के लिए दिलाने का प्रयत्न करे। थडं फाइव ईयर प्लान में ४०० करोड के करीब रपया पत्रायतो को दिया जाय ताकि पचायत तरकी करे। भौग फिर धगर श्री रघुवीर सहाय वा किसी दसरे साथी को जो शहरो में रहते है उनको कोई गिसा रहे तो मै ममझगा कि उनकी विकायत करने की कोई कीमत है वरना यही समझा जावेगा कि चूंकि घाप में बोलन की शक्ति है इसलिए प्राप महब गिसा करने को गिला करते हैं।

मैंने जैसे शरू में कहा मैं मानता ह कि जितने इसके मन्दर प्राविजंस हैं, जितने इसके धन्दर बनाजेज हैं वे कोई तमाम के तमाम बहत ज्यादा सही नही हैं। भव चुनाव का ही सिलसिला ले लीजिये । गाव के भन्दर चनाव कोई बहत श्रच्छा वायुमंडल पैदा नही करते लेकिन इसका यह मतलब नही है कि मै चनावो के खिलाक हा। चनाव तो होने ही चाहिये लेकिन चनाव किस ढग मे हों, इसके बारे में कई एक राय हो सकती हैं। इस कानून के ग्रन्दर चनाव के सिलसिले में इस ढग से कुछ ऐसी थोडी बहत तबदीली की जा मकती है नाकि गाव की फिजा जो कई दफे चनावो के बाद खराब हो जाती है वह न हो । ग्रब एक तरफ तो पि जा के मामली मी खराब होने का लतरा है और दूसरी तरफ पचायत हे न होने में दिल्ली ने देहान को जो मुश्किलान है, अमबा सबाल सामने है ' इसलिए दोनो बातो को संचते हुए ग्रीर दानो शिकायनो भीर तकलीफो का देखन हए में चाहता ह कि दिल्ली की पंचायत राज्य का जो कानन है बह झगर ४ मिनिट या १० मिनिट पहले पास हो मके तो पाम किया जाना चाहिए और इमीलिए बावजुद इस बात के कि दिल्ली के बारे में मैं काफी कह सकता था मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता ।

Mr. Speaker: Shri Radha Raman

Shri Radha Raman rose---

Shri P. S. Daulta (Jhajjar) All Congressmen

Mr. Speaker: Does the hon Members come from Delhi?

Shri P. S. Daulta: Near Delhi

Ch. Ranbir Singh: Almost Delhi.

Sari P. S. Daults: He comes from Bazaar which has nothing to do with panchayats.

Mr. Speaker: I called him first Every hon. Member will be called I called Chaudhur: Ranbir Singh first I should have first called hon Members who came from Delhi

Shri P. S. Daulta: After the hon Minister has this practice of calling hon. Members from the largest Partv to be followed?

Mr. Speaker: It does not matter These are not controversial matters where party interests are concerned i treat it on a non-party basis

बी राघा रमण : ग्रध्यक्ष महोदय, दिल्सी पचायत राज्य मशोधन बिल जो सदन के मामने मौजूद है उमको जन्द से जल्द दिल्ली के गावो के ग्रन्दर लागू करने का ख्याल जो ग्रभी हमारे लायक दोस्त ने यहा सदन के सामने रखा मै उसका स्वागन करता हू । ग्रब यह नो उनकी ग्रादन है कि वे शहरी ग्रौर देहाती लोगो को ग्रलग ग्रलग देखने है लेकिन मै उम नरह नही देखना । मै नो हिन्दुस्तान को एक मानता हू

चो० रणवीर सिंहः एक कहा है यहा ग्राप मोटर पर चलने हैं

भी राघा रमणः : ग्रापको माटर पर जलना क्या ब्रा लगता है ?

चौ० रणबीर सिंहः मरा बुरा तो नही लगता लेकिन उनको खरा देहानो में भी तौ भेज दीजिये ।

भी रावा रमण जब कभी इम किस्म के सवाल झाते है तो हमारे मित्र इस तरह की खोटी छोटी दलीले दे देते है लेकिन झगर झाप यह समझते हो कि झापकी वात सही समझी वा सकती है तो यह जरा मुक्किल है। जब भी इस किस्म का कोई सवाल हमारे सामने झाये तो हमें एक देहात और सहर में मेद करके

.

उसको नहीं देखना चाहिये बल्कि हमें यह देखना चाहिये कि किस तरह हम पूरे हिन्दुस्तान का भला कर सकते हैं। अगर हमें जम्हरियत को मजबत करना है तो भ्रपने तमाम गावो के भ्रन्दर पचायत राज्य को कायम करना जरूरी है। यह सशोधन विषेयक जो कि इस समय सदन के सामने पेश है एक बहत जरूरी विधेयक है झौर कल जो हमने यहा पर दिल्ली लैंड रिफार्म्म मशोधन बिल पास किया है उससे इसका ताल्ल्क है। मै इसका स्वागत करता ह भौर में यह चाहता ह कि इस बिल की जो धाराए है विशेष कर जिसमें कि हम ने उन तमाम वोटरो को जो कि पार्लियामेट मेम्बर्स की कास्टीटएमीज के हैं, उनको गाव सभा का मेम्बर बनाने का फैमला किया या जो उसके ग्रन्दर तजकिरा है, उसका मै स्वागत करता हं। मैं माथ ही माथ इम बात का भी स्वागत करता ह कि इम पचायत राज्य मशोधन विल के पास होने के बाद बहुत सारे उन गाव वालो में जो ग्रापस के झगडे होते हैं भौर जिनके कि लिए उनको एक बडी कीमत भवा करनी पडनी है म्रौर कचहरियों में जाना पडता है, उमने बहत ज्यादा - जान मिलेगी । मै तो समझता ह कि मगर हिन्द्स्तान में तरक्की हो सकती है मौर जल्दी तरक्की हो मक्ती है तो उसके लिए जरूरी है कि हम न मिर्फ देहातो के लिए बल्कि शहरो के लिए भी कोई ऐसा तरीका जारी करे कि जिससे हम ग्रापस में बैठकर भ्रपने झगडो के फैमले कर लिया करें भौर जो जिसका हक हो वह उसको मिल जाये । ग्रगर मुल्क के ग्रन्दर जम्हरियन नश्वोन्मा पा सकती है नो वह इमी तरीके से पा सकती है। यह नहीं समझना चाहिए कि झगर किमी माहब ने इस बात के लिए मजरी दे दी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय, तो वह इसलिए किया है कि इसमें देरी लगे। यहां पर एक तजवीज श्री रघ्वीर सहाय जी की है कि जिसमें उन्होने तीन चार महीने की मोहलन मांगी है। धगर हमारे गृह मत्री जी को यह तजबीज मंजूर होती कि इस बिल की घाराघो

[बी रात्रा रमण]

पर फिर एक बार गौर कर लिया जाय तो हम दस पन्द्रह दिन के अन्दर ही बैठकर ऐसा कर सकते थे। इस में तो एसी कोई बात नजर नही माती कि जिसमें शहरी मौर देहाती का सवाल पैदा किया जाय । हमने तो इसके लिए इसीलिए स्वीकृति दे दी थी कि अगर गृह मंत्री जी इस बात को मजुर करे तो यह की जाय । सेशन अभी तीन महीने चलेगा और अगर बस दिन की भी मोहलत मिल जाये तो हम इसकी धाराभो को भ्रच्छी तरह देखकर विचारपूर्वक सदन के मामने ला सकते है। लेकिन भगर गुह मत्री जी को यह मजुर नही है तो किसी भी मेम्बर की, चाहे वह दिल्ली का हो या बाहर का, यह स्वाहिश नही है कि इसमें देरी की जाय या इसके रास्ते में कोई रकावट डाली जाये। जिस मजबती से बार बार इस तरह के बिल को लाने के लिए कहा गया है उससे भी जाहिर है कि हम लोगो की यह स्वाहिश थी कि इस पचायत राज्य संशोधन के मताबिक ठीक ठीक काम हो।

दिल्ली के झास पास जो देहाती लोग झाबाद है मैं ममझता हूं कि उनकी मख्या बहुत ज्यादा नही है, लेकिन उनकी जो भी सख्या हो यह विघेयक उनके लिए एक न्यामन हौगी और वे बहुन सारे झगडे फमादो से बच जायेंगे जिनके खर्चों में वे लदे रहने हैं और जिनके कारण वे उभरने नही पाने । यह कानून उनको इन झगडो में बचा मकेगा और जो पंचायत झदालतें बनेगी उनमें बहु इन्साफ जिसकी हम उम्मीद करने हैं लोगों को बगैर खर्च के मिल सकेगा ।

इस बिल में जो प्रधिकार चीत कमिश्नर को दिया गया है जिसके द्वारा वह देहातियो को उनकी मुनीबतो से बचाने के लिए काम कर सकते है, वह भी देहातियों के लिये खुश्चगवार होगा घौर इस की बजह से उनको जो घपने कैसले करवाने में घभी दिक्कते होती है वे भी दूर हो जायेंगी।

इसलिए मैं निहायत धदब से धर्म करूंगा कि इस बिल के बारे में इस सयाल को सामने न रखा आये कि इस सदन का कोई भी मेम्बर, चाहे वह दिल्ली का नुमायन्दा हो या न हो, यह स्वाहिश रसता है कि इसकी मंजुरी में देरी हो । बल्कि हम में से हर शक्स यह चाहता है कि यह कानून बन कर जल्द से जल्द लाग हो भौर जो इसकी धारामों का मकसद है वह पूरा हो । खासकर हम चाहते है कि हमारी देहातो में गांव सभायें कायम हो । उन गाव सभाझों में जो लोग शामिल हों. या जो लोग नियत किये जायें या इलेक्ट किये जायें वे गाव के फायदे धौर नक्सान के बारे में पूरे तौर पर सोचे ग्रौर जिन झगडो का फैसला होने में सभी महीनो और सालों लगते है वह कम वक्त में भीर वगैर खर्च के फैसले हो जायें। कभी कभी देहातों के ये धरेलू झगडे इतने जबरदस्त हो आते हैं कि नसलो तक चलते है झौर इनकी वजह से गाव वालो नी शक्ति कमजोर होती है। गाव वालो की शक्ति ही तो हमारी शक्ति है। इसलिए उस दाक्ति को बचाकर हम देश को तरक्की दे सकने है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कानून से ये सारी बाते पूरी हो सकती है ।

मै चाहता हं कि श्री रघुवीर सहाय जी के सिलेक्ट कमेटी के मोशन को किसी तरह से भी मिसम्रडरस्टेंड न किया जाये भीर मगर किमी साहब ने प्रपने नाम की स्वीकृति दे दी है तो उसे भी मिसम्र उरस्टेंड न किया जाये । इस हाउस को ऐसी सजबीज पास करने का हक है । भीर मगर यह हाउस समझता है कि इस बिल की घारामो को पूरी जाच पडताल के बाद ही लाया गया है तो मैं समझता हूं कि इसमें मौर देरी लगाने की जरुरत नही है । भीर इस कानून को जल्दी से जल्दी पास कर के देहातों में लागू कर दिया जाये क रोंकि हमारे देहाती माई इसका घरसे के इन्तिजार कर रहे हैं और सोब रहे हैं कि इस से उनकी बहुत मुसीबतें दूर हो जायेंगी।

इन शब्दो के साथ मै इन बिल का स्वागत करता हू भौर प्राशा करता हू कि यह जन्दी से जल्दी कानून बन कर लागू हो जायेगा ।

भी मबल प्रभाषर : ग्रघ्यक महोदय, दिल्ली पचायत राज्य श्रधिनियम का जो यह सज्ञोधन विधेयक हमारे सामने है मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हम्रा ह । भौर श्री रघुवीर महाय जी ने जो प्रवर समिति को इसे भेजने का मशोधन रग्वा है उसका विरोध करता हू। इसका कारण यह है कि लगभग ६ वर्ष पूर्व दिल्ली के गावो में पचायनें तोड **दी गयी थी भौर जब से ये पचायते ट्**टी हैं तब से गावो में, जिसकी लाठी उसकी भेस बाला हिमाब हो रहा है। लोग ग्रन्धाधन्ध कानून तोडने में लगे हए हैं। ग्राज ग्रवस्था यह है कि चकबन्दी में ग्रगर कोई राम्ना छोड दिया गया है नो उसको जो जबरदस्त लोग है वे तोड लेते है। यह मामला पटवारी के बारा मान अफसर के पास जाता है और माल ग्राहमर के पास तकरीबन २००० टम तरह के केस पडे हए है और वह यह मोचने है कि इनका क्या किया जाये । ग्रगर दिल्ली मे पंचायने काम करती हाती ता मैं समझना ह कि यह बात न होती भौर लोगो को इस तरह का साहम न होता कि चकब दी में जो रास्ते सेतो में भादमियो और गाडियो के माने जाने के लिए छोडे गये है उनको तोड लें। ग्रीर तो भौर लोगो ने गोचर भमि को भी तोड लिया। बन को जो कि लोगो के लाभ के लिए है उसको भी तोड लिया है। हम चाहते है कि ये पचायतें जल्दी से जल्दी घ्रपना काम धारम्भ कर दें धौर वह विधान महिता के मन्तर्गत जो मधिकार इन पचायनो को दिये गये हैं, जिनकी लिस्ट गृहमत्री जी ने सुनायी है, उनके धनमार काम करने सगे ।

मुझे एक भय है जो कि मैं यहा सफ्ट कर देना बाहता हूं प्रौर वह यह है कि दिल्ली के 320 LSD.---6 गावो में माजकल एक ग्राम विकास परिषद् काम कर रही है। माज-कल गावो के विकास का काम डेवेलपमेट कौंसिल के ढारा होता है, जिन में गांव के चुने हुए या नाम-निर्देशित व्यक्ति होते है। यदि पचायतो मे इन नोगो के अतिरिक्त दूसरे लोग चुने गए, तो मुझे भय है कि उन दोनो मे---विकास परिषद् और ग्राम पचायत के सदस्यो में---गाव के विकास के प्रध्न को ले कर मुठभेड न हो जाये। मैं समझता ह कि माननीय मत्री जी इस को स्पष्ट करेगे।

मुझे एक और भय है। दिल्ली के गावो पर नगर निगम का भी अधिकार है और उम पर ती बहा की सफाइ की जिम्मेदारी है। ऐसी भवस्या में यदि ग्राम पचायत एक निर्देश दे और नगर निगम दूसरा निर्देश जारी कर दे, तो उन में टकराव होगा। उस को रोकने के लिए इम विधेयक मे कोई व्यवस्था नही की गई है। मुझे आजा है कि इस के सम्बन्ध मे माननीय मत्री जी को, सल्नोधजनक उत्तर देगे।

इस विधेयक की एक बात मझे बडी विचित्र लगी है। गाव वाले जिस को हौग्रा ममझते है वही उन का परामर्शदाना होगा । इस विधयक में यह प्रबन्ध किया गया है कि पटवारी सरपच को सलाह देगा, उस को एसिस्ट करेगा भौर उस का सहायक होगा । स्थिति यह है कि गाव वाले पटवारी को एक लानत समझते है, लेकिन वही पटवारी उन का परामर्शदाता होगा । इस भवस्था में वह भया नहीं कर सकेगा ? चकवन्दी के मामले में यह देखा गया है कि वह एक व्यक्ति के नाम जमीन लगा देता है भौर भगर दूसरे दिन कोई झौर व्यक्ति उस को ए।राच कर लेता है, तो वही जमीन उस के नाम लगा दी जाती है। गाव के लोगो में मुठमेड कराने बाला व्यक्ति ही परामर्शदाता होगा, यह भी मेरे भय का कारण है। मैं चाहगा कि दिल्ली प्रशासन कम से कम पटवारी का यह धाधकार न हे। इवेलपमेंट कमेटी की मोर से

[श्री नवत प्रभानर]

जो ग्राम कार्य कर्ता समाज-सेवा का कार्य कर रहे है, उन को यदि यह काम सौंप दिया जाय, तो वह भ्रधिक उपयक्त होगा । मै समझता ह कि सिर्फ दिल्ली में ही नही, हिन्दुस्तान के हर हिस्से में पटवारी से गाव बाले डरते है । वे समझते है कि मिनिस्टर की कलम में शायद इतनी ताकत नही है, जितनी कि पटवारी की कलम मे है। इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है, उस का परिणाम यह होगा कि पटवारी गाव में फट डालेगा भौर स्वय राज करेगा भौर वह सरपच को भी नचाता रहेगा, क्योकि वह उस का परामर्शदाता होगा । इस में सहिता की धाराये दी गई है। मैं यह कहना चाहता ह कि सरपच कोई बकील या जज तो होगा नही । जैसे जैसे पटवागी उम को समझा देगा, उसी तरह सरपच काम करेगा। जो भी बराई होगी. वह सरपच के ऊपर प्रायगी भौर भलाई पटवारी ग्रपने ऊपर ले लेगा कि मैं ने यह किया है।

मन्त में जो वान में कहना चाहता ह उस को मै बहत गम्भीर समजता ह । यह देखा गया है कि जितनी उदारता यहा शहर में एक हरिजन के प्रति है, गाव में अभी उननी नही है क्योंकि हमारे गाव खिडं हुए है। ऐपी अवस्था में हरिजनों के माम दा में पचायन अदालने जो निर्णय दनी है उसमे मझे कुछ सन्देह होता है। मेरे मामने इस तरह के बहन सारे केमिज आए है। में उन को यहा नही कहना चाहना ह लेकिन जब मैं उन के निर्णयों को देखता ह, तो मेरी अलरात्मा काप उठती है। मैं चाहता ह कि इस विधेयक में ऐसा प्रबन्ध हाना चाहिये कि जो हरिजन ग्राम पचायत या मर्कल भ्रदालत का सदस्य होगा, उस को यह भन्तियार होना चाहिए----उस को एक तरह से यह बीट: पावर होनी चाहिए-कि किसी ऐसे मामले में. जिस में किसी हरिजन के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाय यदि वह उस

निर्णय का साथ न दे. तो उस निर्णय को अतिम न माना जाय. बल्कि उस पर फिर विचार किया जाय सौर ग्रगर साम पंचायत को महसूस हो कि उस का निर्णय ठीक है, तो भी उस मागले को ऊपर की भ्रदालत में भेज दिया जाय भौर वह निर्णय हरिजन पर एक दम न थोपा जाय । माननीय मंत्री से मेरा विनम और साग्रह निवेदन है कि पचायत में हरिजनों का बहमत तो होगा नही----उन का एक ही सदस्य होगा भौर भाम तौर पर गावो में यह कोशिश भी की जाती है कि कोई ऐसा हरिजन सदस्य छाटा जाय. जो या तो बोलेगा नही झौर झगर बोलेगा, तो उस की बात नही मानी जायगी । मैं ने यह सुझाव दिया है कि यदि हरिजन सदस्य को किमी हरिजन के सम्बन्ध मे---केवल किमी हरिजन के सम्बन्ध में----दिए गये फैसले मे मन-भद हो, ता उस का फैसला उस पचायत में न हा ग्रौर उस मामले को ग्रागे भेज दिया जाए । ग्रगर वह सिविल ग्रदालन है. तो काउ सब-जज उस का फैपला दे झौर यदि कोई त्रिमिनल मामला है, तो उस को किमी मजिस्ट्रेट के पास क्रेमले के लिए भेज दिया जाये। मैं समझता ह कि माननीय मंत्री मरें इस मुझाब का मान लेगे ।

मै इस बित के पास करने में देरी करने के हक में नहीं हूं। यह मामला बहुत पिछड़ा हुग्रा है। दिल्ली के गाव वाले यह महसूस करने है कि यहा पर नुरन्त पचायर्ने स्थापित होनी चाहिए।

माननीय मधी जो से मैं यह भी कहूगा कि इस बिल के पास होने के बाद वह दिल्ली प्रधासन कः मेहरवानी कर के यह भी बह दे कि यप्रैल के महीने में फसल कटने के बाद जैसे ही किसान खाली होता है, तुरन्त इन पचायन के जुनाव करा दें। ऐसा न हो कि बे लोग दूसरी फसल बोने के चक्कर में हों और माप कडे कि मब चुनाब होने चाहियें । मुझे माचा है कि यदि ये चुनाव वगैर संघर्ष के हो जायें, तो बढा झच्छा है, नहीं तो संघर्ष होगा ही, क्योकि गावों में पान तौर पर पार्टी-बाजी होनी है । मै राजनैतिक पार्टियों से भी कटूगा कि वे गावो की हवा को न बिगाई प्रौर गाव वानो को स्वयं धपने भाग्य का निर्णय करने दे धौर प्रपनी इच्छा के मुनाबिक प्रपने गाव का प्रशासन चलाने दें । यदि इम मे वह योडी खरावी भौर बुरार् भी करने है, तां हमें उम को तटस्य भाव से देखना चाहिये धौर उन के मामलो में किसी तरह की दखन-अदाजी नही करनी चाहिए । मै उम्मोद करना हूं कि माननीय मत्री पचायनो के चुनाव शोघाति-शीघ कराने को कुपा करेगं ।

भी प्र० सि० बोलता : अध्यक्ष महांदय. माननीय मत्री, पडिन पन न फरमाया था कि यह छोटा मा बिल है श्रीर में नहीं समझता कि इस में आधे घट से ज्यादा लगगा । यह बिल छाटा मा नो है ही और मै इम बात से भी महमन ह जिहा तव इस तिन का ताल्लुक है, इस में पन्द्रह मिनट में ज्यादा बक्त लगने की बात नहीं है। इस बिल में कुछ कान्मीक्वेशियल अमेटमे १म के अलावा, जो कि दूसरे कानून नी वजह में करना पड रही है, एक बात के मिता पानिमी का को उ सवाल इन्वाल्व्ड नहीं है भीर वर यह है कि बडी बोडी मी पावर इस में दी ग है---सौ रुपों तक जुर्माना हो सरता है, कैंद की मजा इस में नहीं है। पंजाब की पंचायतों के बारे में मै जानना हू । दूसरे नूवी की पंचायतो के मुतान्तिक मुझे मालुम नही है। यह बिल बजाने-खुद कोइ ऐसा नही है, जिस के लिए बहत ज्यादा वक्त की जरूरत हो। लेकिन हाऊम चार घटे जो इम बिल के लिए बाहत है वह भी जस्टि ताइड है झीर इसका का ण यह है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्नियादी सवाल है। दिल्ली जुकि सेंटर का सूबा है भीर दिल्ली के बारे में भ जायतों के मिलसिले में ग्राप जो भी कदम उठाने हैं उसमें हमारी गवनेमेंट की जो नियन है उसका प्रदाजा लग मकता है ग्रौर उम म्ब का पता लग मकता है कि किस तरक हवा जा रही है।

13.31 hrs.

MR DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

हमे इस बात का पता चल सकता है कि हम किघर जाना चाहते है झौर किघर का रहे है । नग्रगुर में कुछ रे जोल्यू उम प्रम किये गय है झौर उसने पास किय है जो कि रूलिग पार्टी का एक विग है झौर उन रेजोल [कास को धाप किस तरह में धमली जामा पहनाने है झौर किस हद तक पहनाते है, यह देखना हमारा फर्ज है। जब इस नु ततेनजर से मे इस बिल को देखता हू तो मै यह करे बिना नही रह सकता कि यह एक बडा झफसोमनाक झौर मा। सबुन बिल है। यह दिल हमे झपने मरसद की तरफ दूर नहीं ले जाता है, उसके यह बहुत थोडी दूर ले जाता है।

जानव डिग्टी स्पीकर माहव, यह एक ग्रनियादी सवाल है। राधा रमण जी नं वहा ति बहु दुख होता है जब घहरी मौर देहानी का मवाल उठाया जाना है। मैं भी समझना टू कि जब यह मवाल उठाया जाना है नो जरूर दुख होना है और मैं इसको एप्रीशियट भी करना '। लेकिन जो हकीकन है उससे हम आखे बन्द भी नही कर सकते हैं। हकीकत यह है कि ग्रग्रेजो के माने से पहले भी जो यहा की सिविलाइजशन थी—उस वक्त जब मुगलो का यहा राज था भार उससे पहले भी—ग्रबंन हकूमत थी, ग्रबंन सिविलाइ-जेशन गी उम वक्त भी श.रो में काजी हकूमत करता था भीर जो देहान थे बे शहर के पांच मील के फासले पर माबाद

[श्री प्र॰ सि॰ दीलता]

थे धौर धपनी जिन्दगी, भपनी लाइफ अपने तरीक से बसर करते थे। वे लोग प्रपनी जिन्दगी को अपने साचे में ढाल कर बिताने के भादी रहे है । इसके बाद भग्रजो की ग्रामद हुई । उन्होने यहा पर एक नई मिडिल क्लास को जन्म दिया, ठेकदार पैदा हुमा, वकील पैदा हुए घौर मिडिल क्लास ने जन्म लिया । अग्रजो ने बगाल और मदास से ले कर नार्थ इडिया तथा, मतलब यह कि सारे हिन्दुस्तान को एक सुत्र में बाध दिया । **केकिन उस मिडिल क्लास ने जो कि झग्रेजी** बढी लिखी थी ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो **बेहा**तियो के रस्म भौर रिवाज थे, जो उनकी मजमई लाइफ थी ग्रौर जिस को वे बिताते गा रहे थे खत्म कर दिया। वे ग्रबंन मगल्स के गुलाम हो गये। उनके तमाम ह हक और **श्रसत्यारात खत्म हो गये। यह व्यरो**त्रेमी का नतीजा था।

इसके बाद जब हमारी हक्मन आई, जब हमारा राज हमा तो फिर से हम ने इस सवाल को उठाया। अब बनियादी मवाल बह है कि किस हद तक हम उन देहातियो को ग्रपने काम खुद करने के लिय पावर्स देना चाहते है किस हद तक मौजुदा हकुमत जाना बाहती है । मझे अफसोस में कहना पडता है कि माज प्रचार ज्यादा है नकिन मसल मे **देहा**तियो को कोई ग्वास पावर्म नही **ही जा रही** है। भाज देहातियों की बात की जानी है छेकिन मैं ग्रापको बतलाना चाहता हू कि एक बार डिजरेली ने का था वहा की पालिया-मेंट में, उस वक्त जबकि नई क्लास पैदा हुई थी, मिडिल क्लास भ्रौर वहा पर इडस्ट्रिजन रेबोल्यूशन हुमा था, कि मेरे मुल्क इगलैंड में दो कौमें रहती है भौर उन दोनो कौमो का पहनाबा, दिमागी रुझान, कस्टम, स्टैडर्ड मा ह लिबिंग बिल्कूल डिफेट है भौर ये दोनो कौमें छोटे से जजीरे में रहती है जिसको बरतानिया कहने हैं। जो कुछ विनोबा भावे जी कहते हैं, जो कुछ भी रणवीर सिंह जी

कहते है या जो कुछ वौलता कहता है, उसके हु स मानने की बात नही है। हकीकत यह है कि शहरी शहरी है, वेहाती वेहाती है, शहरियो की एक दूसरी कौम है। दोनों जजबाती तौर पर प्रलग हैं। बैसे लीडरी करने के लिये, तहसीलदारी करने के लिए प्रोफैसरी करने के लिए वहा जा सकते हैं, मगर है वे घलग घलग।

मैं में नेहरू जी ने जो किताब डिसकवरी भ्राफ इडिया लिसी है, उसको पढ़ा है । मैं नेहरू जी की बडी वद्र करता हु झौर मैं मानता ह कि वह बहुत भारी स्कालर है। उन्होने जो किताब लिखी है वह मै समझता ह इडियन सोक्योलोजी पर बेस्ट किताब है। उन्होने उममें बहत ही दुरुस्त बाते लिसी हैं। उन्होने लिखा है कि दूसरे मुल्को में वे शहरो में कबीले मिल जायेंगे जो देहातो में मिलने हैं ळेकिन हजारो बरस से सोने चादी का कारोबार करते हुए, गुप्त, मुगल इत्यादि के जमान से करते हए, यहा पर लोग मिल सकते है झौर बहा पर न सिर्फ देहाती झौर शहरी है बल्कि कई बार खन डिफेट है, जाने डिफेट है। कुछ लोग हजारो बरमो मे देहातो में रहते बले था रहे हैं। हमारे नवल प्रभाकर साहब जानने है कि गावो मे ही उनकी बहनें व्याही बायेगी, उनकी शादिया होगी, उनकी रिश्ते-दारिया होगी ।

जो मै कहना चाहता हू वह यह है, डिप्टी स्पीकर साहब, कि देहाती अपनी हक्मत चाहते हैं। कई वैलइटेंशठ भाई, अच्छे वकील यह नही समझते हैं कि क्यो त्रिमिनस पावर्स देहातियो को दी जा रही हैं। उनको में बतलाना चाहता हू कि उनका तजुर्बी मेरे तजुर्बे से ज्यादा हो मकता है लेकिन बहा पर प्रगर मुकदमो का फैसला किया गया तो कालूनन फैसला शायद उतना अच्छा न हो लेकिन इसाफन वह ज्यादा धच्छा होगा । मैं ने टेडिशनल पंचायतो को देखा है जिन में

इसडरमैन अन-अपोण्ड चने जाते थे भौर उनके कैसलों को भी देखा है। इसके बाद पचायत राज एक्ट के भ्रन्दर जो पचायतें बनी हैं उनके फैसलों को मै ने देखा है। इसके मलावा भेरा १३ सान का श्रदालती तज्बीं भी है। इन तीनों किस्मो के फैसलो को मैं ने देखा है। मैं द्यापको बतला सकता हु कि तीन चार शादमियो ने लडाई लडी ग्रौर पाच का नाम लिला दिया गया और यह इसलिए कि दफा १४९ नही लगती और दो मादमी फालत हो जाते हैं। गावो में भगर इस तरह का भकदमा जाता तो बहा पर भासानी से पता बल सकता था कि िन लोगो ने लडाई की है। झाज कहा जाता है कि जो रेप के केसिस हो रे है वे छिप जाने है, वे चलने नही है, एविडेंस नही भाता है। लेकिन ट्रेडिशनल पचायतो के जमाने में इस तरह के केम हो ही नही सकते थे क्योकि सब का पता होता था कि क्या कुछ हुआ है। साथ ही मजा भी ऐने केमिम मे भौ रुपये की नहीं हुआ करनी थी बल्कि बहत ज्यादा हन्ना बरती थी। किसी की हिम्मत नही होती यी कि वह रेप वर मके । मैं भाषको यह भी बतलाना चाइना ह कि १९४३ में मै एक मईंग केम में गया। सैजन जज को पता था कि जो तीसरा ग्रादमी है, वह मईर कैस में नहीं था, जो बडा भाई था बह शामिल नही था, सरकारी वकील को भी यह सब मालम था भौर मझे भी मालग था कैकिन उसकी जो मर्सी पेटिशन थी, वह डिसविस कर दी गई और उसको फामी पर लटका दिया गया ।

तो मै कहना बाहना हू कि यह मिडिल क्लास जो है यह जो सफेदपोध क्लास है यह धण्छा इसाफ नही करती है। इस बास्न मै बाहता हू कि आप उनको ज्यादा पावर्स दे। बो पावर आप उनको साज देने जा रहे हैं यह मै समझता हू उनके साथ मजाक करना है। उनको आप ज्यादा से ज्यादा पावर्स दें। झाप फिरोजपुर से हवाई जहाज में साउथ तक कही भी कले जाये आप देखेंगे कि वहा बिकेंट किस्म का डिवेलेपमेट हुआ है, डिफेट किस्म के स्टैंडडंस हैं। जहा पर पैंजेट-प्रोप्राइटम है वे विस्कुल मुख्सलिफ हैं उन झोपडियो के देहातो से जहा पर लखनऊ के नवाबो ने गावो वा तो का खून चूसा है या दूसरे लोगो ने उनको एक्स-प्लायट किया है।

तो मेरे कहने का मकमद यह है कि जो त्रिम्निल पाबर्म आप दे रहे है ये थोडी दे रहे है । आपको ज्यादा देनी चाहिये । यहा पर दिल्ली के आस पास लोग बी॰ ए॰ पास है, सोफा सैट्स पर बैठो है और उनका स्टैंडर्ड काफी ऊचा है और उनको आप उसी स्टैंडर्ड से न नापिये जिस से आप दूसरे देहानो को नापने है और जिन के बारे में आपके पाम ग्पिनेटें छपी पडी है । यहा पर आपको इन लोगो के स्टैंडर्ड आफ टिवेलेपमेंट को दूसरी तरह से एसेम करना होगा । ये लोग बहुत आगे बढे हुये है । मौ ग्पये के जुरमाने तक की पावर देना उनके माथ मजाक करना है ।

दूसरी बान में यह कहना चाहता ह कि इस उध्त जबकि केरल की गवर्नमेंट ने एक पचायतो के बारे में कानून बना कर रख दिया है ग्रीर उसमें रख दिया है कि ४० परमेट टैक्सिस, जिन देहातो से रीयलाइज किये जाने है वे उन देहातियों को वही दे दिये जायेंगे तो दिल्ली के बारे में नो बावा, आपको केरल से कुछ ग्रागे बढना चाहिये था। श्राप यहा की पचायलो को क्या देने लगे है। ४० परमेंट से जपर यानी ६० या ७० परमेट तो दें। चाहिये तो यह था कि ग्राप एक म डल बिल बनारे। भगर वह नही कर सके तो केरल की नकल तो कर सक रे थे। केरल ने जो पावस दी है उन को मैने देखा है । मैने केरल के देहात देखे, १७ दिन बहा घुम कर ग्राया हू। मैं भपने देहात कां भी जानता ह । ग्राघ के देहात थोडा थोडा हमारे नजदीक आने है। यहा के लोगो को चाप १०० फी सदी इजाजत दीजिये और उसका नतीजा थोडे दिन देकिये। वेरी मर्ज बह है कि न सिर्फ क्रिमिनल पाबर्स ही दी बायें बल्कि फाइनेनर भी डीजिये। देहातों से

[श्री प्र० सि० दौस 1]

जो टैक्स वसूल किये जा है वह भी पंचायतों को दीजिये फिर उसका नतीजा देखिये । जिस हद्द तक यह बिल जाता है, उस हद्द तक मैं इसे प्रच्छा समझता हूं लेकिन यह बहुत दूर जाता ही ही । मेरी दरख्वास्त है कि एक बिल्कुल नया बिल मंत्री महोदय इस के बारे में लाये जो कि नमूना हो मागे स्टेट्स की सरकार को दिल्साने के लिये कि यू० पी०, मध्य प्रदेश, पजाब भौर उडीसा वानो तुम नक त करो, यह दिल्ली का कानून है जो कि देहातों को ज्यादा से ज्यादा पावर देता है भौर उसके लिये यह जरूरी है कि ए - नया कानून बहा पर लाया जाय जिस की ठीक नौन से नक न हो सके ।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हु।

उपाध्यक्ष मधोदय क्या पडित ठाकुर दास भागव भी वालना चाहत है ?

Pandit Thakur Das Bhargava: 1 wanted to speak; but I would like to be permitted to speak sitting

Mr. Deputy-Speaker: Yes, but not for more than ten minutes

उ रर भी एक पचायत चल रही है। उसको माधा पटा ता हा गया लेकिन उनका लेखर सभी भी जारी है।

Shri D. C. Sharma: I will stop them Sir

Mr. Deputy-Speaker: Thi hould not be taken lightly-that any request coming from the Chair should go unheeded I would request hon Members-if talk they must-to move to the lobbies

पंडित टाकुर दाम भागव जनाब डिप्टी स्पीकर माहब, मैं ग्रापका बडा मक्कूर हू कि झाप ने मुझे १० मिनट का मौका दिया इस बिल पर बोलने के लिये। दरग्रस्ल मैं ग्राप की ग्रौर दूसरे धपने दोस्तों की जो हिदायत है उम पर खुद ग्रमल करता लेकिन यह बिल इतना महम है कि मैं ग्रपने ग्राप को रोक न सका भौर खड़ा हो गया यह दिखाने के लिये कि मैं भी बोलना चाहता हूं।

मझे खुशी है कि मैं ने, पेशतर इस के कि मैं इस पर बोलूं, चन्द दीगर मेम्बरो की राय भी सून ली। मुझे बड़ी सशी है कि मेरे जो खयालात है उन को कई दूसरे दोस्नो ने भी बडी ग्रच्छी तरह जाहिर किये है और मै उन को दोहराना मही चाहता, लेकिन में उन का दिव्यूट. पे करता ह । मै ने जब इम बिल को देग्वा तो उम में "दिल्ली पचायन बिल" नही था, उस में "दिल्ली पंचायत राज बिल'' था, जिस के माने यह है कि दरग्रम्ल गवर्नमेट का मशा यह है, जैसा कि हम ने कास्टिट्युन में लिखा था, कि हम चाहने है कि हिन्दुस्तान के भ•दर ऐसी पच यतें हो जैसे की पूरानी पचायतें थी. जिंगे की वजह में यहा पर रामराज्य कहा जाता था। हम मगल राज्य, अन्नेजी राज्य या फिसी हिन्दू राजा के राज्य की पचायने नही चाहने । हम चाहने है कि हिन्दुम्तान के अन्द्र ऐसी रिपटितक्स बनें जो मेनक मार्काशणट हो बहन मी चीजो में स्रोर लोकल सेन्ह गवर्नमेंट की यनिट है। ग्रौर जब मैं ने ग्रपने दोस्त मि० दौलना को मुना ग्रीर चौधरी रणवीर मिह को सुना तो मुझे मालुम हुमा कि एक चीज के झन्दर मैं उन से बेहद मुत्तकि हा लेकिन में समझता हूं कि ग्रगर इम बिल का मकसद यह समझा जाता है कि हम रे देश में स्वराज्य की पंचायते बनेगी, जैसा कि कास्टीट्युशन में दर्ज है भौर जिस को हमारे प्राइस मिनिस्टर साहब काग्रेस पार्टो में रोज कहा करते है कि हम चाहते है कि हिन्दुस्पान के प्रन्दर ग्रच्छी पंचायतें हों और को गांब

बाले हैं उन को भ्रपने ऊपर राज्य करने का मौका दिया जाय, जो एक गाव के सोग है खुद यह ही अपने ऊपर राज्य करें, सो मुझे कोई शुबहा नही है कि वह बिल उस मकसद को पूरा नही करता । ग्रगर इस बिल का मकसद यह है कि म्राज जैमी पचायलें हैं उन को वैन्ही चलने दिया जाय तो यह कहना दूरुस्त हो सकता है कि इस को १ या १० मिनः में पम कर दिया जाय, लेकिन ग्रगर हमारे मि० दौलता या चौ० रणतीर सिंह, हमारे दूसरे भाई भौर काग्रेस गवर्नमेट यह चाहती है कि हर एक गाव में पचौयतें दान हो ग्रौर उन को जरूरी मुग्रामगात में नुभा हक देने का नया सिलसिला जारी हो तो यह विल उस डिमान्ड को पूरा नही करना । मगर इस का मारे देश के लिये एक माडल बनाना है तो इस के मन्दर बढी सब्स कमिया है । ग्रभी मेरे भाई ने डिप्टी स्रोकर माहब, ग्राप के रूबरू भीर इस सदन के रूबरू जिफ किया कि किस तरह की पचायने वह चाहने है। वह चीज इस बिल में पूरी नही हो सकती। मुझ को याद है कि मन १६२६ मे एक इसी किस्म का बिल इस सदन के ग्रन्दर भाषा जो डा० गौड वे पेश किया था । उन वक्त मुझे मौक मिलाकि मारे देव के मन्दर उस बक्त जिननी पचायतें मौजुद थी उन के कास्टिट्यज्ञन को देखु। मुझे पाब के बारे में मालम है कि पजाब में पचायने कैसे काम करती है। मैं अर्जू करना चाहना हु कि नोई भी शल्स इस हाउस में उस तरीके में मुतमइन नहीं हैं जिस तरीके से हमारी पंचायनें हिन्दुस्तान में राज करती है । ग्राज हिन्दुस्तान में एक लाख से भी ज्यादा पंचायतें है, लेकिन वह पचायतें वह माहौल पैदा नही कर सकती जो हम चाहते है कि देश के भ्रदर हर जगह पैदः हो ।

जब हमारा कास्टिट्यूशन बन रहा था तो मैं ने एक अमेडमंट रक्ता था श्रीर बह यह या कि जब तक गाव वालो की हालत इस कदर नही तब्दील कर दी जाती कि वह सब ग्रमेटिीज जो शहर वालो को हामिल है। वह गावो के ग्रन्दर पहुंच जायें उस वक्त तक देश का जो भी रुपया खर्च होता है वह सिर्फ गाव वालो के फायदे हे लिये ही खर्च किया जाये । वह ग्रमंडमेट मजुर नही हुमा । उम बक्न चौधरी रणबीर सिंह ने भी मझे मपोर्ट किया था । मैं ग्राज भी कहता ह कि चकि ग्राप मही मानो से **पचायन राज लाना जाइने है और जो** भायदे ग्राज शहर के रहने वाले उठा रहे है वह गाव वालों को नहीं पहुंच रहे है इसलिये उन को मारे फायदे देने के निये यह ही माकन तरीका हो मक्ता है कि आप गाव के आदर ज्यादा में ज्यादा रुपया खर्च करें। जब नक यह चीज ग्राप नही मानने, जब तक भ्राप गाव वालो को फाइने ल पावर नही देने जब नक ग्राप उन को टैक्सेज की ग्रामदनी का बडा हिस्सा नही देते. उन्त वक्न तक यह मामना हल नहीं होगा । जिस बक्त यहा पर को मार फड ही कमेटी बनी उस बक्त मैं ने एक नोट म्राह डिमेट निखा था जिन म लिखा गया था कि ग्रगर आप चाहते है कि गावा : ऊपर इम की ज्यादा रिम्पामिविनिटी हो ना उम का एक ही तरीका है कि म्राप जिनना ज्यादा से ज्यादा गपना हर एक पचानन का द मके दे। बिना उमरे पत्रायन वा राज्य नहीं हा सकता। स्रोर न नत्फ गत्रनमेट (Government) के मासद पुरे हा मकने हैं।

मेरे एक दोस्त ने बड जोर शार मे एक बात कही झौर में उस को बडे जोर में मपोर्ट [पंडित ठाकुर दास भागं~]

करता हूं कि भगर भाप सही मानो में पचायत राज कायम करना बाहते है तो जितनी भी पोलिटिकल पार्टों है, समेत काग्रेस, के, उन के पोलिटिकल इन्फ्लुएम को म्राप गाव के भन्दर न जाने दे। ग्रगर भाप चाहते है कि देश क अन्दर कोआरेटिव फर्गमग हो तो बह उसी वक्त मुमकिन है जब कि देश अन्दर भापस में लोगो का कोम्रापरेशन हो, मोहब्बत हो। जिस चीज का हम स्वपन देखते हैं वह इसी तरह से मुमकिन हो सकती है। एक जमाना था कि गाव की हर एक झौरत को जो गाव में रहती थी लोग अपना रिकोदार समझते थे। माज भी मगर माप गाव में जायें तो देखेंगे कि बडे-बटे जमीदार भाई भी जब किभी किसी दूसरी जगह पर जाने है और वहा पर गाव की कोई लडकी होती है तो उस को रुपया दे कर झाते है। झाज भी गावो के ग्रन्दर श्रीरतो की इननी इज्जत है कि कोई भी बढी औरत गाव भर की चाची हो दी है। हर एक बुजुग झौरत को लोग प्रपना रिश्नेदार मानते हं भल ही बह किसी जात की हो मोर चाई जितनी गरीब हो, चाहे वह मेहतरानी हो, जाटनी हो चमारनी हो, कोई भी हो। अभी यहा पर पार्टीबाजी पर एनगज किया गया है। पसंनल पार्टीबाजी की बान नहीं गई है लेकिन बजारे उस के म्राज पालिटिकल पार्टी-बाजी ज्यादा फंक्शन्स पैदा कर रही है। भगर भाप चाहते है कि देश के गावा क अन्दर लोग भाराम से रहे तो में कह सक्ता हू कि बह बिल इस नरह का नही बनाया गया है कि पचायत राज गावो क प्रन्दर जा सर। इसक बिल्कूल मुख्तलिफ बनाना होगा। माज जो १ लाख २६ हजार पचायतं देश वे भन्दर है मगर उन को भाप कवर्ट करना चाहते है इस बिल से तो यह बिल उम नमून का नहीं है जिस पर हमारे गाव के लाग यकीन कर सके। आज में कह मकता हू कि देहात बालो को भी उत्ता ही हक है जिलना कि बहर वासो को। लेकिन मुक्ते यह कहने में रज होता है कि कुछ लोग हाउस में यह कहते है कि वहा पर देहात एक तरह से बने और बहर दुसरे तरह से बनें। पिछला जो जमाना था वह खत्म हो चुका जब कि जमीदार पार्टी या पूसरी पार्टी के लोग होते थे, पार्टी वेंसिज पर क्लामेज बने हुए थे। झाज वह तमीज हम को हटानी पडेगी। झाज देश के म्रग्दर एक-एक सिटिजेन जो यहा रहता है उसे एक ज्यह पर लाना होगा। हम झब यह तमीज नही चाहेंगे कि यह शहर वाला है ग्रीर यह देहात वाला है। हम चाहेगे कि हर एन जगह की, हर एक गाव की उतनी भलाई हो, उँना ही भाराम हो जो हमारे शहरो का है। इस को वरने क वास्ने, में कहना हू इस विल । प्रन्दर जरूरी चीजे नही है। में नही बहना चाहता कि इस बिल को लाने में किसी की नियत खराब है या खराब नियत मे यह बना है नेविन काग्रेस वाले जो चाहने हैं, पडिन नेहरू जो चाहने हैं हम में में हर एक जो चाहना है बिल में जो काग्रम ना भी नक्तें निगाह है वह यह है नि एमे शल बंक्याउड : ग्रन्दर हर ए बाहना है कि हमारा देश ऊचे में ऊचे उठे 🚈 लंबिन जिन चीजो में कौमें उठती हैं भीर मजबूत होती है उन का जमं भी इस म नहीं है। मगर भ्राप सही माना में चाहते हैं कि पचायत राज बने ती इस बिज की तब्दील करना होगा । देश वेः ग्रन्दर जो जगह ग्राज हम पटवारी की देखते है, उस को तब्दील करना होगा। में इस बिल 4 भन्दर इन चीज को नही देखता । धगर धार इस बिल में में राज मा लफ्ज हटा दे तो मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मगर ग्राप राज का लपज रखत है तो में चाहगा कि इस थे लिये सेलेक्ट कमेटी बने, उस व अन्दर श्री नेहरू बैठे, हमारे स्पीकर साहब मौजूद हो, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब का नाम तो शामिल है, उस के भन्दर हमारे हेल्र मिनिस्टर साहब बैठें, कैबिनेट के बड़े से बढे मिनिस्टर बैठे घौर एक मजब्त कमेटी बनाई जायं। जो साप करना पाहते हैं भगर वही भाप का मंधा है तो इस के लिये दसरा बिल लाना चाहिये। झाप इस बिल का नाम सिर्फ दिल्ली पंचायत अमेडमेट बिल ही रक्सें भौर उसमें से लफ्ज "राज" निकाल बीजिये तो फिर मुझे कोई झिकायत नही होगी मौर दिल्ली पंचायन भी उसी तरह चलेगी जैसे कि ग्रगर ग्रौर प्राविन्सेज में पंचायते चलती है। भौर मुबों में भी जहां पचायते चलती है वे अपने फरायज पुरे कर रही है। लेकिन भगर सही मायनो में पछा जारे भौर जैसे कि कास्टीटयुशन के प्रिमिपल्स में कहा गया है कि हमारे देश में पचायत राज्य कायम हो भौर छोटी छीटी रिपर्वालक बर्ने भौर जो देश के मन्दर नमना हो भौर जो हम इस देश में राम राज्य कायमें होने की चर्चा मनते थे. मझे बडे घदा के साथ कहना है कि बह मशा तो इससे पुरी होने वाली नही है। मै पुछना चाहता हं कि इसके भ्रन्दर कहा पर जिक है कि यह मयेशियों की नरक्की होगी ? ग्रीर कहा इसमें हाउमिंग का जिन्न है ? या दूसरी इन्डस्ट्रीज बनाने व रोजगार महय्या करन का जिक है। कैमे छोटी-छोटी पचायते दिल्ली के अन्दर यह नमाम काम कर मकेंगी ' यह ठीक है कि दिल्ली के अन्दर बहत सारे लोकल परे लिग्वे लोग रहते है लेकिन बहुत ग्राधिक तादाद दिल्ली के देहातो में बसने वाले झनपढ़ ग्रीर गरीब लोगो की है उसके माथ पूरा इमाफ हो सकेगा या नही हो सकेगा यह डाउटपूल है। इमलिए मै ग्रदब के साथ ग्रजं करना चाहना ह कि ग्राप इस बिल को जो ४.४ मिनिट में पास करना चाहत है तो बेशक उसे भाप पास कर ले क्योंकि भाषको इसका झस्तियार है भौर झाप ऐसा कर सकते है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा यह दिल्ली पचायत भी दूसरी पचायतो की तरह मार्डिनेरी पंचायत होगी भौर इमीलिए मैंने कहा है कि इस बिल के नाम में से "राज" शब्द निकाल दिया जाये।

इस बिल के घन्दर एक प्राविजन है कि वकील इस के घन्दर दाखिल नही हैं। अब मेरे लायक दोस्त जो वकीलों के ऊपर बेएतमादी जाहिर करना चाहते हैं झौर शायद दरस्त नौर पर जाहिर करने हों झौर मैं वकीलो की उनके द्वारा मुखालि कत को समझ सकता हं। अब मेरा ४० वर्ष से भी ज्यादा वकालत का तजुर्वा है ग्रीर में खद इस बात का कायल हूं कि वकीलों की वजह से भवसर भी नत न्याय मिलने में देर होती है और ग्रपगथियों को उचित दड नही मिल पाता है। ग्रब इस के लिए वकील कोई डाइरेक्ट नी जिम्मेदार नही है लेकिन इसमें शक नही कि वे इसमें जाहिरा तौर पर इस्ट मेंटल जरूर हैं। लेकिन में यह जरूर कहगा कि हम गांव मौर शहर दोनो के रहने वालो के लिए इंसाफ चाहने हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वकीलो की वजह से इसाह नहीं होता है। यहा पर सच्चे मानो में रामराज्य कायम करने के लिए ग्रापको बहन भी चीजें करनी होगी ग्रौर नवदीलिया लानी पडेंगी। मैं इस बात के हक मे नही हू कि यहा पर बकीलो का राज्य कायम हो जारे भीर में समझना ह कि कोई भी ग्रादमी इसके हक में नहीं होगा कि इस तरीके की लोगेलिस्टिक झोपीनियन मारे देश में फैरे अं मारे देश में लीगल राज्य हो जाय प्रौर जिससे कि बहन में रूनावार छट जाये और वे अपने जमंकी मजान पायें। श्री दौलताने भी इस बारे में जित्र किया मौर उन्होने बतलाया कि उनको ११ वर्षका तर्जर्वा है। मझे वकालन का उनमे ४, ४ गना ग्रधिक तजुर्बा है झौर में इस बिना पर कह सकता है कि काननी इसाक रोजमर्रा के इसाफ से बहुत डिप्रे.ट है। कोई भी नहीं चाहता कि सारे गाव को वकील लोग लुट लें। लेकिन हम इतना जरूर चाहते है कि स्राप पचायते को गावमं दें। भव इमके लिए यह कहा जा सकत है कि छोटी-स्रोटी पचायतो को पावसे दिये जाने से उनके मिसयज होने का खतरा बना रहता है तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि भाष उसके लिए प्रीकाशन लेते हुए यह करे कि पंचायत को माप बिल्कूल किसी भी किस्म की पार्टीबाजी से अलहिदा रक्सें ताकि

राजस्यान, हिमाचल प्रदेश भौर पंजाब वगैरह के जो पंचायत राज के ऐक्ट्स है उनको भी देला भौर उनको देखने के बाद मुझे यह मालूम हुम्रा कि यह जो बिल हमारे सामने है यह बहुत पिछडा हुग्रा बिन है भौर दूसरे सूबो में जो तरक्ती पसन्द ऐक्ट्स है उनसे बहुत पीछे है भौर मुझे यह देखकर बडी निराशा भौर मायुसी हुई।

जहा तक देहातो का ताल्लू - है हिन्दूस्तान में करीब-करीब ४ लाख गाव हैं मौर उनके जो रहने वाले लोग है वे हमे ा से पिछडे हमे है । म्युनिसपैल्टिजि को काफी फरोग हामिल हमा । यहा पर म्युनिमपैल्टीज बहुत मर्से से गाम नर रही है और शहरों में हाफी डवेनप्रदेट है लेनि देहातो की भौर माज तक कोई तवज्जह नही दी गई। मैने गावो की पिछली नवारीख का मनाना किया है झौर मैन देखा कि एक जमाना एमा था जब कि हजारो वर्ष पहले गाव बिलवूल सैन्फ सफिशिएट थे मौर बहा पर खाने पीने के लिये सब कुछ मौजद था। लोगों हे खाने पीने, रहने ग्रादि के लिये मना-सिब इतजाम था। भीर ग्राजक भी उस पुराने जमाने की उजडी हई प्रथाण चली मा रही है जैसे कि देहात में जा काम करने वाले लोग है नाई वगैरह, उनका काम के एवज मे तनग्वाह नहीं दी जाती है बल्कि ग्रनाज की शवल में उनको उजरत दी जाती है। इस तग्ह से जो पुरानी दाकले थी वे धाज भी मौजद है । सामुहिक आधार पर देहान के रहने ाले तमाम काम रने थे झौर कुल पैदावार का एक दसया हिग्सा राज्य कांभ में नाता था भीर बाती गावा में रूच होता था। इस,िये जैसे कि हमारे बजगं पटित टाकर दास भागंब भौर दूसरे दोस्तो न भी फरमाया कि हमे पचायतो को एक मोडल शकल देनी चाहिये जो वि ग्रभी नहीं दी गई है. मैं भी उनका समर्थन करता ह। बहुत सी चीजे जा कि वैस्ट बगान के और दूसरे सूबों की पचायत एक्टो में है, वे इसमें नही है । झब मसलन सर्किल पंचायत का इसमें तजकिरा है। सकिस

[पांडन ठा हर दास भागंव]

धह लगन धौर मज्बाई के साथ धपने फरायज को वखवी मजाम दे। मापको यह याद रखना है कि बिल का धसल मकसद सिर्फ इडिविजुएल्स में इसारु करना ही नही है बल्कि पचायत राज का सवाल यह है कि लोगो कि जिन्दगी खुशहाल बने मौर प्यार मौर मोहब्बत के साथ सारा कामकाज चले, सारा मियार ही तबदील हा जारे। हर एक गाव पचायत इस बात के लिए जिन्मेदार हो कि हर एक गाव वारे को जो कि उस गाव में रहता हो उसके खाने पीने का माकूल बदोबस्त हो, उसके रहने मौर तालीम मादि सभी चोजो को मुनासिब इतजाम हो। मेरा कहना है कि वह सारी चीजे इसमें नही है।

धगर धाप इसे मालड बिल बनाना बाहतं है तो इसे भी ज्यादा मजबत मेलेक्ट कमेटी बनाइये लेकिन ग्रगर भाष इसे इसी शबल में पास करना चाहन है तो ग्राप कर दीजिये ग्राग्तियार है लेकिन ग्रापको इसका इसमें जो "राज" का लफ्ज रक्या है उमके को 4 मायने नही रह जाते है अ.र जैस और मुबो में पचायने चल रही है बैसे यह भी हमडम पचायनों की तरह चलेगी। लेकिन ग्रगर ग्रापका माडल बिल लाना है तो किर एक दुमरा बिल लाइय । आप चार टमको ऐसे ही पाम कर लीजिये या फिर इसके झन्दर जह री तरमीम कर लीजिय ताकि यह देश के वास्ते माइल बने। ग्रगर ग्रापकी यह मशा है तो ग्राप इस सेन्द्रेकट ਸੋਟੀ के मोशन को मजर वरने हमारे बहतरीन दिमागो को इसमे शामिल कर लीजिये ताकि इसना जो मनसद है रह हम परा बर सते।

भी मोहन स्वरूप (पीलीभीत) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मणक्र टू कि मुझे बोलमें का मौका दिया गया। यह जो दिल्ली पंचायत राज धमेडमेंट बिल पेश किया गया है मैंने उसका मुताला किया। माथ ही साथ मैंने वेस्ट बगाल,

455 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amendment) Bill 456

पंचायत जो बनायी गयी है वह गांत्र सभा के लोगों की बनाई गई है लेकिन उसमें यह नहीं दिया गया है कि गाव सभा के कितने ग्रादमी जायेंग जिनसे कि वह सर्किल पंचायत बनेगी।

इसके साथ ही साथ ग्रदालती पचायत का जो तरीका है वह भी गलत है। यू० पी० में गांव पंचायत व ग्रदालत पचायत का फामेंशन मलग से है लेकिन यहा उसका सकिन पचायत में मिला दिया गया है। वेस्ट बगाल में जहा कि यह भचल पचायन कहनाती है इसको बड़े हकुक दिय गये है और थान के स्तर पर वह बनती है और उमको तमाम इला हे की देखभाल करने ग्रीर कट्रांल करने का ग्रम्विकार हामिल है। इमी तरीके में पजाब में तहमी न पचायत बनी हई है जो कि पच यतो के नम को मुपग्वाइज करती है, देखभाल करती है और उनको भगविरा देती है। यह जो हमारी गर्किल पंचायत बनी है यह तो महज एक तमाया मा बन कर ही रह गई है। बताया गया है कि इसी में में कुछ लोग चुने जायेंग जो कि पच चुनेगे और वह ग्रदालती पचायत वा बाम बरेगे। छंकिन मेरा बहना है कि ग्रदालनी पचायन ग्रलग से बन ही चाहिय । समिल पंचायन के उक्त और बहाना चाहिये ग्रीर उसको सुरवाइजरी हरक ग्रीर ज्यादा मिलने चाहिये नानि वह ma षचायनां ग्रीर ग्रदालनां पंचायनां का दम्वे ग्रीर जनको जहरी मर्जातरा देती रहे। "मने माय ही मैं चाहगा कि मौरुल पंचायतों का रिवीजन के हकन दियें जाये नाकि जो पचायत अदा-लतो में फैमले होते है, उनकी वह मुनवाई कर सके। जो भं भदाननी फैसले प्रपील के हो वे मर्किल पचायत के अरियं हो । भौर सकिन पंचायत १४-२० ग्रदालती पंचायनो के काम को सुपरवाइज करे ग्रौर जो उसकी खामियो दिखाई दें उनको पूरा करे।

ग्रव गाव पचायत के लिये काम ता बहुत करने को बताये गये हैं। जैसे सडक बनाना, पुलियां बनाना धौर घन्य दुनिया भर की चीजें उसको करनी है लेकिन उसकी ग्रामदनी क्या है इसकी तरफ भी तो ध्यान जाना चाहिये। म्राज उसको सिर्फ २ पैमे लगान के उपर मिलता है ग्रौर मै पूछना बहता ह कि जो मुझ्किल में उसको ४००, ५ ०० हतय इम तरह मिलने हैं उन ४००,५०० रुपयो से क्या गाव में यह तमाम डवेलपमेंट के काम पूरे हो मकते है। मेरा सुझाव है ि गाव पंचायतों को गावो की आमदनी का एक चौथाई हिस्सा मिलना चाहिये । उत्तर प्रदेश में प्रपत्नरान दौरे पर गाव पचायतो में जाते है ग्रीर वहा श्रमदान की बात होती है। एक तमाशा होता है। दो चार सडकों पर थोही सी मिट्री टाल दी जाती है, उसके फोटो खिचने है झौर ग्रस्वबारो में छापे जाते हैं झौर बस फर्ज धुरा हो जाता है। लेकिन इस तमाझे से काम तही चलेगा । हम मोर्शालस्ट लोग ची वबा गाज्य की चर्चा करते हैं. हम गावो को संल्फ सफी टिबनाना हिरहे, सब, इत्य , जला क, सेल्क म की डि बलाना बाटन है और मटर को स्वावलम्बी बनाना चाहते है । मै चाहना हं कि मन को ग्रामदनी क, चार म्तरो पर बाटा आये गावों के स्तर पर जिलों के स्तर पर शवों वे स्तर पर और सेटर के स्तर पर। तो मै चाटगा कि यह प्रावीजन इस बानन में हो कि गाव को ग्रामदनी का चौथाई हिमा वचायतों को मिले। ग्रगर ऐसा हो तभी तरकी हो सकती है।

14 hrs.

साथ ही स्पय जो कानन तम बनावे वर् ऐमा हा ि गमे इडस्ट्रीज क उंवे र मेट का भी तजकिरा हो । क्योंकि साल के तीन बार महीने ऐसे हो ा है कि जिनमे गाव वाले बेकार स्रोते ऐसे हो ा है कि जिनमे गाव वाले बेकार स्रोते है । उस वक्त लोगो को का न देने के लिये गाव सभा को यह हक मिलना बाहिये कि वह छोटे-छोटे कारल्वाने ग्रार s टेज इडस्ट्रीज खोल मके । सास्ट है कि जब तक हम प्रपने गावां को सेल्फ सफी ठोट नही बनायेगे तब तक तरक्की नही हो सकती ।

इस बिल में घोर भी कुछ चीजो को कमी है। जैसे कि इस जिल में गाउ पचायत की

[श्री मोहन स्वार]

मिटिन्स का तजकिरा नही है। उत्तर घदेश के कानून में यह है कि हर महीने ए - मीटिंग हो। इस कानून में ऐसा कोई तजकिरा नही है। पंचो की संक्या के बारे में भी कोई तजकिरा नही है। यह आधारिटीज पर छोड दिया गया है कि जितने चाहें रख लें। य० पी० के कानून में है कि कम से कम १४ हो, पजाब मे नौ कि लिमिट है। लेकिन यहा कोई लिमिट नही है।

इस बिल में इलेक्शन िटिशन्म के बारे में भी कोई तजकिरा नही है। दूसरे ऐक्ट जो मैंने देखे है उनमे इसका तजकिरा है।

दूसरी चीज है झाफिशियत्स की । उत्तर प्रदेश में एक सेकेंटरी होता है जो कि पचायत का कार्यकर्ता होता है झौर साथ ही माथ पट-बारी भी गाव समाज के काम को सुपरवाइज करता है । झौर जो रेवेन्यू वर्कस है वह भी गाव पचायत देखती है । उसके तिये पटवारी काम करता है । और एक मेत्रेटरी झलाहिदा रहता है । इस बिल में वार्जेह तौर से नही बनाया गया है कि कौन अफसर होगा झौर उसका क्या काम होगा । इसमें गाव समाज और गाव पचायत की कोई परिभापा नही की गयी है । रेवेन्यू का काम कैंसे हो झौर दूसरे काम कैसे हो यह भी साफ तौर पर नही बताया गया है ।

एक चीज मैंने पजाव के ऐक्ट ग्रीन बेस्ट बगाल के ऐक्ट में देखी है कि वहा पचायतो छोटे छोटे नोकरो का काम देखने का भ्राधकान दिया गया है, जैसे कि कैनाल के पनरोलो का। बह चीज भी इम बिल में नही है।

वैस्ट बगाल के ऐक्ट में ग्राचल पत्रायत को पुलिस का काम देखने का भी हक है। वह भी यहां नहीं दिया गया है।

इसमें जुरमाने का ग्रधिकार सिर्फ सौ रूपया रक्सा गया है। मैं समझताहू कि यह कम है। मुझ से कहा गया है कि दिल्ली के धासपास के जो गाव हैं वे काफी डेवेल्प्ड हैं और उनमें पढे लिसे लोग रहने है। इसलिये मैं समझता हूं कि सौ श्वये का जुरमाना कम है। उत्तर प्रदेश में पत्रायतो को ४०० तक का जुरमाना करने का अधिकार दे दिया गया है। मै चाहूगा कि इस कानून में भी जुरमाने का हक बढाना चाहिये।

4

मैंने पजाब झौर बैस्ट बगाल के ऐक्टो में देखा है कि कुछ लोगों को छूट का ध्रधिकार दिया गया है। जो लोग लेवर कर सको है और गरीब हैं, उनको टैक्स से मुस्तसना कर दिया गया है। यहा ऐसा कोई प्रावीजन नही है। जो कि होना चाहिये।

साय ही साथ जैसा कि उत्तर प्रदेश में शिडयूल्ट कास्ट्म के लिये प्रावीजन किया गया है कि जिम गाव की झाबादी ५०० हो उसमें एक शिडयल्ड कास्ट वाले को सन् ६० तक के लिये रिजरबेशन दिया जाये। लेकिन यहा यह नहीं है।

श्री नवल प्रशासर है।

भी मोहन स्वरूप शायद मैंने पढा न हो। औरतो के लिये भी कोई रिजरवेशन नही है। नो इसमें इम तरह की कमिया है। कुछ बातो की और वजाहन होनी चाहिये। और यह ऐक्ट ज्यादा जामा होना चाहिये था। जब तक यह कानून इम ढंग पर नही बनेगा तब तक यह कानून इम ढंग पर नही बनेगा तब तक गावा की नरक्की नही हो सकती। मैं तो समझता हू कि दिल्ली राज्य के लिये तो एक माडल ऐक्ट बनना चाहिये जिससे कि दूसरे राज्य उसकी नकल कर सकें और उसके म्ताबिक अपने काननो में सकोधन कर सकें

मै मिलेक्ट कमेटी का समर्थन करता हू। उस कमेटी के मामने इस पर प्रच्छी तरह झे गौर होना चाहिये ग्रीर दिल्ली के लिये एक नमने का कानून बनना चाहिये।

भी ष० ह० नाथर (बाहय दिस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहुद्व ही पुकी है भौर सदन के बहुत ज्यावा सदस्यों का यह खयाल है कि इस बिल को बहुत जल्द पास कर दिया जाये। मैं भी इसी जयाल का हूं। लेकिन जमाना बहुत तेवी के साथ बदल रहा है भौर माज यह माग है कि पंचायत राज बिल ऐसा बने कि जो सारे देश के लिये नमूना हा।

माप जानते हैं कि हिन्दूस्तान का माईन सर्वोपरि बढा उत्तम है। उसके मुताबिक हमने हिन्दुस्त न मे एक सोशलिस्टिक पार्नियामेंटरी डिमाकेसी कायम की है, भौर उसके माथ-साथ हमने पच साला योजनायें भी बन यी हैं, भएने इकानमिक प्रोग्राम को बढाने के लिये। लेकिन हमारी इक्मत भौर हमारे नेतामो का यह लयाल हुआ कि यह चीजे झसल में कामयाब तब होगी जब कि गावो में पचायते कायम हो। इसी मकसद से प्लानिंग का एक बहत हिस्सा कम्युनिस्टो डेवेलपमेंट का भी रखा है जो कि दो तीन साल के अन्दर हिन्दुस्तान भर में फैलने वाला है जिसके मातहत कोई पाच हजार कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स बनने बाले हैं। लेकिन इन कम्यनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स के लोग, खामकर उसके चेयरमैन बगैरह झाफिशियल्स है झौर इम चहते है कि ये सब काम केवल मार्किशियल्स के हाथ में ही नहीं हों। मौर इम यह भी चाहते हैं कि तमाम ब्लाक्स का काम पचायत समितियों के मारफत हो। एक-एक ब्लाक के झन्दर एक-एक गाव के सरपचो की एक पचायत समिति हो जो मिल कर ज्लाक देवेलपमेंट के तमाम काम में सह रोग दें भीर कोभाडिनेशन के साथ काम करे।

भी रघुवीर सहाय जी ने जो सिलेक्ट कमेटी का मोधन पेध किया था उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हू झौर मै होम यिनिस्टर साहब से यह दरसास्त करुगा कि बह इस को स्वीकार करे। इस बक्त

बासकर जमाना बहुत तैजी से बदस रहा है। ह 'ने इसी साल रवी केम्पैन का काम भी षुरू किया है सारे हिन्दुस्तान में , लेकिन ब्लाक ग्रफसरो को कोई मदद देने वाल। नही है। असली मदद तो उन लोगे को पंचायतो से मिल सकती है। इसलिये पचायत को पूर ग्रधिकार मिलना चाहिये। प्रगर हमारी जम्हूरियन को कामयाब होना है तो हमें काम का विकेन्द्रीकरण करना हागा जा ि हणारे राष्ट्रावता महात्मा गांधी का भी मादर्श था। जब तक हम डिमेट्लाइजेशन करके गाव वालो के हाथ मे पूरा भाषिकार नही देंगे तब तक हम इस काम में कामयाब नही हो सकेंगे. बाहे वह प्लानिंग हो, या कम्युनिटि डेवेलप-मेंट हो, या कोग्रापरेटिव का काम हो, या तालीम का काम हो। हम चाहते है कि पचायत गाव के सर्वोपरि सम्था के हो । वही तालीम का इन्तिजाम करे, वही सफाई का इन्निजाम करे, वही स्कुलो का भी इन्तिजाम करे। हमें इन सब चीजो का ग्रधिकार पचायत को देना चाहिये। लेकिन में समझता ह कि इस बिल में उस मब की गुज इश नहीं है। इस तरे मैं मै ने चन्द जिम्मेदार ग्रादमियो मे बात-चीन की है तो उन्होने कहा कि इस बिल को श्रव बहुत जल्दी पास होने दो श्रीर बाद में नया कानून लाया जा सकना है। लेकिन मै समझता हू कि हम इस में देर क्यो करें। जैसा कि श्री ठाकूर दास भागंव ने भी कहा है, पचायत राज का सबजेक्ट बहत बढा झौर मोस्ट इम्पार्टेन्ट है। इस लिये मगर कमेटी में प्रधान मत्री न हो. तो कम से कम होम मिनिस्टर तो है ही भौर उन के साथ ही डेवेलपमेट के मिनिस्टर भी होने बाहिये, क्योकि उनके दिमाग में ब्लाक्स के काम को भच्छी तरह से चलाने के बहुत सुन्दर विचर हं गांर योजनायें हैं। यहा पर बैठकर हम हर न सुधार, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवेलपग्रेट ग्रीर प्ल नि। बगैरह के बारे में बहत से कानून बन सकते

ş

[श्री च० ह० नायर]

हैं - भीर हम बहुत से कानून बना भी चुके हैं - लेकिन उनमें दी गई दातो को गावो के घर-घर में कौन पहुरा समना है? न तो हमारे मिनिस्टर ही पहुचा सकेते है भीर न ही प्रदेशों के मिनिस्टर और लैजिस्ले-बर पहच सकेते हैं। उनको पचायतो के मेम्बर ही पहुचा सकते है। इस लिये यह जरूरी है कि हर एक गाव में पचायत कायम हो । उसी तरह हर एक गाव मे को-आपरेटिव सोसायटी हो । उस की मारकत हमारी एग्रीकल्चरेल प्राडक्शन बढ़ सकती है। गावों में जितनी भी एग्री-कल्बरल डेवेलपमेट हो सकती है - चाहे बह मवेशी पालन हो मछली पालन हो मुर्गी पालन हो या हैल्य, एजकेशन, वगैरह के काम ह- ह सब काम को हम जो-आपरेटिव की मारफन करा सकने है, लेकिन उस को कट्रोल करने के लिये पचाया होनी चाहिये। पचायतें गाव गाव मे हो भौर एक ब्लाक में जितनी भी पचायते हो, उन सब के सरपचो की एक पचायत समिति बनाई जाय, जा कि ब्लाक का पूरी तरह को-आपरेशन देनी रहे ताशि तम गावो के सैकडा किस्म के सवाल हल कर मकें । हम तो कानून बनान है घौर कानन बना कर हमारी जिम्मेदारी खन्म हा जाती है । ग्राफि-सर्ज शासन चलाने है ग्रौर उन की जिम्मेदारी भी खन्म हो ानी है। ग्रदालने न्याय करती है भीर उस के माथ ही उन की जिम्मे-दारी भी खन्म हो जाती है, लेकिन हमारे ब्लाक डेवेलपमेट आफिसर झौर हमारी पचायते इन तमाम कामा का समन्वय करती हैं - वे कानन बनाने वाले भी है, उसको चनाने बाले भी है झौर न्याय करने वाले भी है। मै मर्ज करना चाहता हू कि पचायतो को बढ़ाने का तसम्बर बडा सुन्दर, गम्भीर झौर गहरा है। मैं इस बात के हक में इं कि दिल्ली में बहुत जल्दी पचायते कायम की जायें, लेकिन हम को इस बात का भी -स्वास रखना है कि हम कितना बज़ कदम

उठा रहे है। सारे हिन्दुस्तान की भलाई और हिन्दुस्तान के धाईन और हमारी पालि वामेंट के धादशों की पूर्ति इन पंचायतो की मारफ़त होने वाली है। इसी लिये पंचायतो को ज्यादा से ज्याद प्रधिकार देने की माग की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल गाडिया भौर बसें जो इतना साम न लेवर थ ती गती ह इन ती कै द्वी ग भी चल रही है, यह सब कैसे सम्भव हो सकता है⁹ हम यहा पर बजट पर बहस करत है। उन सब का घाघार गाव के डेवेलप-मेट भौर गाव की पैदाबार पर है। गावों के लाखो करोडो लोगो के पसोने से हमारे देश की दौलत पैदा होती है। उसके बगैर हम ने पाच-साला प्लान को पूरा कर सकेंगे भौर न कम्युनिटी डेवेलपमेट की पुनि कर मकेंगे। इस बिल से मेरा विरोध-भाव नही है। हमारा मक्सद यह है कि हम एक ऐसा पचायत राज कानून बनायें, जो कि बहन सुन्दर भौर पूर्ण हो, जो कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक नमना हो । इसी लिये मैं कह रहा या कि इस मौके से फायदा उठा कर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये जिम मे हमारे बजीर ग्रीर इस विषय मे। दलचस्पी रखने वाले दूसर साहबान भी हो भीर उन सब के मलाह-मध्वर में इस बिल को तैयार किया जाए । म्राज सारा हिन्दुस्तान इस के लिये तरस रहा है। शायद दो तीन साल में मारे हिन्दस्तान में ब्लाक पैलने वाले है। उन में पचायता के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पालियामेंट के काननो का घर घर में पहुचाने का काम पचायता का है। ग्रगर हम तमाम जिम्मे-दारी पचायतो का दे दे, तो जो काम दस बीम साल में हाना है, यह हम पाच साल में कर सकेंगे।

इन शब्दो के साथ में भी रघुवीर सहाय के मोशन का तहे-दिश से स्वागत करता 🛙 धौर सपोर्ट करता हू मौर मै होम मिनिस्टर सहाब से भपील करूगा कि वह इस को मान सें, ताकि हम इस काम में तेजी के साथ भागे बढ़ सकें।

Shri P. R. Patel (Mehsana) We all know that our gram panchayats are the roots of our democracy Our democracy would not be successful if the spirit of democracy is not there in our panchayats So, our Delhi Panchayat Raj Bill should be an ideal one, which should be followed by the other States Is this Bill of that type?

So far as the village raj is concerned, it is not sufficient to call it 'raj' or 'samruj' Revenue is the first thing So, the question is whether we give sufficient revenues to the panchayais We allow them to tax the agriculturi is more, the agriculturists are taked from all sides-by the Union Government, the State Government the municipal corporations, etc. Now we allow them to be a prey also to the gram punchayats That is not the proper thing to do Whatever be the revenues of the village, the whole of it nould be given over to the panchava' so that they can do constructive work and become ideal service panchavits to the community

I would only refer to one or two clauses and try to show that even though we to a of d mocracy, we are afraid of democracy and we do not implement the pirt of democracy I would refer to chase 28 where the power of supersession is given to the Commissioner There will be no other authority which can decide whe her panchayats should be superseded or not Let the Commissioner or the Collector approach the District Judge and get an order that the panchayat has wilfully failed to do a certain thing and so it should be superseded After all, in a democracy, the power should vest in the judiciary and not in the executive

Clause 13 amends section 49 of the principal Act, which deals with removal or dismissal of a member of a panchayat A member can be dismissed if "he is in the opinion of the prescribed authority guilty of misconduct the discharge of his duties" So, the words are "in the opnion of the prescribed authority" So, he is a dictator so far as the dismissal of the member is concerned. Why should that authority be given to a single man? Why should that man not be asked to go to the judiciary and get the verdict of the judiciary that the man requires to be d smisled for misconduct in the discharge of his duties? I know certain cases where members are d smissed on grounds which are only imaginary, most of them are political grounds. If we want to work our democracy, if we want the democracy to survive, the executive should not assume more authority but should give more authority to the judiciary so that nobody can complain or say anything against it

There is one more thing in section 49 Clause (1)(e) reads "is m the opinion of the prescrib d authority undesirable in the public interest to continue in office" Whethm it is undesnable in the public interest to continue in office would be decided by the executive author ty Is it desirable to keep this power in the Panchayat Raj Act? You call it Raj and you are giving authority to somebody who can dismiss the rulers of this rai After all the panchavat members are the rulers and yet they can be dismissed at discretion without any hesitation How can you call it Panchayat Ray? If all the functions of the panchavat are performed by the panchavat then only can you call it Panchayat Raj?

So, I would submit very humbly to the Minister that he should agree to refer this Bill to the Select Committee Is it no' proper to refer the Bill to the Select Committee which will come out with some better interpretation and better writings and so on? I hope the Minister will not hesitate to admit that collective wisdom is much better than the individual wisdom of

[Shri P. R. Patal]

the executive. So the Select Committee would be the proper authority to advise Government in the matter

Then I want to refer to certain things about the panchayat adalat I am happy that some powers are being given to the panchayat adalat I think the village people will dispense justice better than some courts Whereas legal justice is done by the courts, it will be natural justice m the case of the panchayat adalat There may be chances of injustice in the village adalat but they are very rare

Section 53J says that conviction done by the Panchayat adalat shall not be deemed to be a previous conviction That is nice and good But, after all, it is a conviction, whether it may be a previous conviction or may not be a previous conviction, whether it may be used against him in future or not Now the power of revision is given to the additional district magistrate I want to know from the hon Minister why our executive is rather afraid of the judiciary? Our executive often takes away power from the judiciary in favour of the executive Have we distrust m our judiciary? Or is it that whatever decisions are given by the judiciary are not palatable to us? What is the reason? After all, this is a judicial matter. If at all there is a revision, it should be in a judicial court, and the proper authority would be the court of sessions and not an additional district magistrate T know many cases-and I hope the hon Minister must also be knowing them-where additional district magistrates take decisions on political grounds rather than on individual judgments If we want our democracy to work well, it is not desirable to give more authority to the executive

Lastly, I would refer to some lines which appeared in *Times of India* of 9th February, 1959 These are views expressed by some prominent persons at the discussion on a Symposium on Democracy and Law. I would read only a line which says:

"If the executive was allowed to encroach upon the powers of the legislature and of the judiciary, Mr Ayyangar warned, it would provide a fertile ground for dictatorship "

This was his fear, he said, even so far as India was concerned I ask the hon Minister do we want to take our country to dictatorship?

Shri D. C. Sharma: I am afraid, I cannot welcome this Bill in any sense of the word, nor do I support the proposition put forward by my hon. friend, Shri Raghubir Sahai I do not think any Joint Committee is empowered to produce a model Bill A Joint Committee can only effect improvements in this Bill within the framework that has been given And I think that no amount of improvement can do any justice to the demands that have been put forward with regard to this Bill Therefore, I think that as an interim measure this Bill may be allowed to pass and within three or four months after the passing of this Bill

Shri P. B. Patel: When we have waited for 50 many years why not wait for some more months?

Shri D C Sharma: we can bring forward another Bill which would be a good and satisfactory model of a local self-government Bill at the village level for all States to follow. So far as I know, the Ministry of Health was entrusted with a work of this kind and I think even some questions have been asked about it. I do not know how far the Ministry of Health has progressed in this direction All the same, I think this Bill, if I am not considered to be very harsh, is a cruel joke practised on the rural population of Delhi My friend over there was afraid that similar Bills are there in other States. I think those Bills will also answer the description that I have given

Of course, I will not be a party to a statement of the kind which was made by an hon Member over there. I do not think we should try to raise any kind of conflict between people who live in citics and people who live in villages I think most of the persons who come here and talk about the villagers look like city-dwellers They dress like city-dwellers They dress like city-dwellers They dress like city-dwellers whole outlook on life is like that of city-dwellers Let those persons have the hardihood to come forward and Say

Mr. Deputy-Speaker: Here m this House all are hon Members

Shri D C. Sharma: My difficulty is that when I go to the Punjab University I have to address the members as 'fellows' The word 'fellow' also has got a dignified meaning But here t is are hon Members who want to a, pear as guardians and custodians of the rural population without knowing that most of those persons whom they dub as urbanites are also willagedwellers

Shri M L Dwivedi (Hamirpur) Sir, this is objectionable He says "posing and without knowing" That is very objectionable

Mr Deputy-Speaker: He save that he has certain difficulties because in universities he has to come across fellows

Shri M. L Dwivedi. This is not a university We are speaking now in a different forum

Shri D. C. Sharma I know fully well what I am talking about (Shri V P Nayar Question) I know the kind of words that I am using It is no use wasting my time with these interruptions

Shri M. L. Dwivedi: Is that any reason for casting aspersion upon Members that we pose ... 320 L.S.D.-7 Shri D. C. Sharma: There is no aspersion on anybody

Shri V P. Nayar (Quilon) He is only posing a question

Mr Deputy-Speaker: He has said that he never meant any aspersion on anybody.

Shri D C Sharma: I was submitting very respectfully, Sir, to you, and through you to the Members of this House, that this Bill does not define adequately and completely the functions of gaon sabhas, the functions of gaon panchayats and the functions of circle panchayats I think this Bill is very very vague Even where it has been clear, I feel that the functions which have been given to these various bodies are very meagre, very inadequate and very niggardly T would say, either we should give fuilblooded self-government to these villages or not give any self-government at all There is no half-wayhouse You say that these people are being trained in local self-government How long are these people to be in training? That is the question that I want to put I think they have had sufficiently long number of years for being trained m the art of local selfgovernment After having given them those opportunities you do not give them any effective power to deal either with their local needs, with their developmental needs with their civic needs or other kinds of needs I think therefore that this Bill suffers from not only a confusion of aims but also from inadequacy of powers that are given to the gaon sabhas and panchavats

The circle panchavats are, I should say, a kind of hardship inflicted upon those villagers. I would submit very respectfully that cannot say that you will club together so many cities Why don't you club together Delhi, Gurgaon and Sonepat which are very near to each other and say that there are certain needs of these cities which can be dealt with jointly? Now, the needs of one village are different from

[Shri D. C. Sharma]

the needs of another village. There are jealousies between one village and another. There are different communities inhabiting one village and different communities inhabiting another village. There is a majority of one community in one village and a majority of another community in another village. I do not want to talk in terms of communities: I only wanted to give a realistic picture of the existing circumstances. By bringing together these village under a circle panchayat what happens is this, you bring together elements in terms of population, community, interest in terms of needs, in such a way that they create an explosive situation. 1 have seen this kind of explosive situations obtaining in so many villages in the Punjab Therefore, I say that the experiment of circle panchayats is an experiment which has proved to be a failure everywhere, and I do not want that the Delhi villages should be saddled with this kind of circle panchayats.

I want to submit, Sir, very respectfully, that the members of the panchayats here in Delhi and also in some other States are being treated like school children, who must always be under the supervising eye of a teacher or of somebody who can look after Take the case of patwaris. them Take the case of other village officials I would have said that these gram panchayats should have been taken away from the influences of those persons with whom they have sometimes to join issues. After all, the gram panchayats should not be mere rubber stamps of the executives in the villages or anywhere else. But I think that this is what has been done

I would have very much appreciated if the Panchayati Adalats had been given more powers I would have very much appreciated if the Panchayati Adalats had not been given those minor acts to play with. But I find that instead of this kind of experience in judiciary they are going to have an experience in, what I might say, increasing their powers to foster contentiousness in the villages. I think that these powers ought not to be given only on the strength of the representative character of the panchayats. I think that they should be given on the basis of other merits also. I would have been very happy if these Panchayat: Adalats had been constituted in a way which is better than this.

Sir, as was put forward by my hon. friend, Shri Raghubir Sahai, we have lakhs of panchayats in this country, and he said that ten per cent of them were functioning properly and effectively. This is a very sorry state of affairs, and this stereotyped Bill with its stereotyped provisions is going to perpetuate that situation and it is not going to improve it or better it.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Mr Deputy-Speaker, Sir, it is a very interesting experiment which we are trying out, and on which there can be honestly more than one opinion I des re to restrict myself to that aspect of the Bill which sceks to invest criminal jurisdiction in 'panchayati adalats'

In the first place, it has to be appreciated that our experience of gram panchayats and other bodies has been far from sat sfactory, and it is really doubtful whether the various clauses and sections of the Indian Penal Code in respect of which jurisdiction is sought to be vested should really be incorporated in the Bill Probably, Sir, the House has not appreciated what are the sections and powers in respect of which criminal jurisdiction is proposed to be vested in the Panchayati Adalats For instance, all offences such as negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life-under section 269-are also proposed to be given to the Adalats. Then, wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman,-section 140-offences connected with it, are also proposed to be

471 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amondment) Bill 472

handed over for trial to these Adalats Offences connected with fouling water or public spring or reservoir, resh driving or riding on a public way, negligent conduct with respect to explosive substances, voluntarily causing hurt by dangerous weapons, misch efs by injury to public works and bridges etc are also being proposed to be given over for trial to the Adalats However, there is no doubt that some beginning will have to be made by giving certain powers to panchayati adalats, but to what extent can we go seems to be the crux of the problem

The problem before any State is how to dispose of the numerous petty criminal cases promptly and cheaply without at the same time heving instances of miscarriage of justice and abuse of magisterial powers Therefore the choice is not whether we should give panchavati adalats any powers but to what extent the powers should be given I am of the opinion that some beginning will have to be made, otherwise it is humanly impossible for any State to deal with the numerous small offences which occur in every remote corner of the villages and to provide adequate magisterial mach nery for the disposal of those cases I am therefore of the opinion that while certain criminal powers should be vested certain sections require to be deleted from the Bill for instance as I have just now said, cases of negligent act likely to spread infection of diseases dangerous to life A very serious thing like that ought not to be left to the panchayati adalats who have power to inflict a fine of Rs 100 only Fouling public water supply and reser voir is a very serious offence Also, offences such as voluntarily causing hurt by dangerous firearms or daggers or such weapons are very serious offences and if these are incorporated in this Bill the result of it will be that graver offences will escape with smaller punishments

Our experience is that these panchayati adalats or gram panchayats or whatever bodies that are there in the villages are not sufficiently independent to exercise certain judicial or magisterial functions I remember a case in which I was for one of the parties m a criminal court where the magistrate suggested that the case could be taken to the jamat. Jamat is a sort of panchayat or caste organisation in the villages The man promptly replied "What is the jamat? If you give it a peg of liquor, it is your jamat and if I give it a peg of liquor, it is my jamat" That being the case, it is desirable that very serious cr minal offences are not to be entrusted to the panchayats The result will be that e ther there will escape punishment or will escape with light punishment

It is true that m the B.ll there has been a provision to the effect that if the adalat thinks that the offence cannot be adequately dealt with by it then it may be passed on to a regular court, but that is not enough, because pressure will be brought by influential persons when a serious offence is committed, for instance as in the case of voluntarily causing hurt by dangerous firearms or daggers. It is a very common occurrence in the villages The party will try to bring pressure on the adalat and try and finish off the case with a small fine Therefore my submission is that the real issue is not whether these adalats should be invested with powers They will have to be invested with powers not merely because one would like to see our v llage panchayats literally and really becoming centres of swaraj, but because the force of circumstances will be such that certain powers will have to be delegated to them

Sect one like 352, 356 and 357 which deal with assaults, insults, petty criminal tre-pase, house trespass and offences like that, can be safely delegated to the panchayati adalats for trial. For the rest of them, I am of the opinion that these sections will have to be deleted

There is another point which has to be borne in mind, it will be inevitable

that section 447 of the Indian Penal Code should be one of the sections where offences could be tried by the panchayati adalats in villages. Questions of encroachment on fields and pre-occupy the attention practically of the entire village. There are usually two factions in the village. It has been our experience that the villagers by relationship or otherwise are so inter-connected that it is very difficult for people to administer independent just ce. But even then some risk will have to be taken. In cases of bigger offences, I am definitely of the view that they must be clearly taken out of the purview of these adalats. Sections which are incorporated in the Bill carry with them punishment of three years rigorous imprisonment and yet we have not given the adalats power to inflict any sentence of imprisonment Therefore, according to me these are not the sections which ought to have been incorporated in the Bill.

I therefore subm.t that while it may be desirable to make a beginning taking even the risk of miscarriage of justice, there are certain sections which should be kept completely out of the scope of the panchayati adalats Therefore I support the amendment which was moved by my hon, friend, Shri Raghubir Sahai, requesting that the Bill should be sent to the Select Committee.

Shri M L. Dwivedi and Shri Fahadia rose__

Mr. Deputy-Speaker: I think I should now call the hon. Minister.

भी म॰ ला॰ डिवेदी : में कवल दा मिनिट चाहना है।

भी पहाडिया (सताई माधोरुर रक्षित भनुसूचित जातियां) : एक मिनिट ही चाहिये।

Shri Khadilkar (Ahmednagar); Five minutes Mr. Deputy-Speaker: Then I extend

the time by a few minutes.

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur): rose---

Mr. Deputy-Speaker: Shri Jhunjhunwala has not desired any minutes.

Shri Jhunjhunwala: I shall also take three minutes.

Shri Khadilkar: Sir, within the t.me at my disposal, I will try to be very brief. In our exuberance to bring about a certain amount of social transformation and to see that power is not concentrated but decentralised at village centres, we are taking measures without giving due thought to them. When I read the title of the Bill, I was rather puzzled. There is a common word-a comomn coin-that we want to bring in Ram Rayya Here, we want to bring about Panchayat Ray But after going through this measure-it is intended in fact if panchayat is to be the judic.al authority-I think that the Congress is aiming in the final analysis to bring about goonda raj Let us be very frank about it

I would like to appeal to the hon Home M nister-he comes from the c ty of Belgaum and as a lawyer he has long and eminent practice to his credit in that place-as he has come in close contact with the villages roundabout as I have come across in my place. What is the state of affairs in the villages? The villages today are feud-r dden No village is absolutely free from feuds and the caste hold is still dominant. If you want to invest village panchayat with these powers in an area where they have never functioned even as administrative units-excuse me for saving thisthe hon Home Minister ought to have thought it fit before investing them with addition powers, at least to allow them to function for a few years with other administrative functions, I mean social service functions like village sanitation, lighting, roads and other things But they are in a hurry, as I said in the beginning, and they want to do this.

Another thing has happened because of the social transformation Formerly, normally some pensioners, used to go and reside in a village There was an element of inter-change Today that has not been the case because of the new land legislation There is greater tendency to settle down even after retirement in the cities or roundabout cities. It is a common experience and therefore village life today is disintegrating at every level. We have legislated in the States that there should be a common well I go to my constituency for attending the Development Council meetings and the exper ence given by the administrative officer is that there is no common well In every village there are almost two wells-one for Harijans and another for the caste Hindus This is the state of affairs and in such conditions, I would like to know from the hon Home Minister, how he shows this boldness to come before this House with this measure I am really surprised

I had an occasion to consult one sen or ICS officer of the old regime, who was Chirf Secretary of a State Government When the question of handing over little Police powers to the Bombay Corporation was considered I would like to point out this instance he said that in the given circumstances though Bombay City is very much advanced, he would not like that the Bombay Corporation should exercise powers of the Police even in a restricted way. Take this into account When the advanced metropolitan cities are not in a position to exercise authority of a judicial or penal nature in a responsible way am I to understand that the hon Home Minister feels that roundabout Delhi the villages are so advanced that they can exercise judicial authority and deliver justice? Justice in the village is tainted with caste influences, local influences, and particularly with prohibition there is always another factor which has entered into village life which we cannot ignore, though they will never admit it, namely that boot-legging and other country liquor industry is going on

Therefore, my submission is this I would have liked to support my hon. friend Shri Raghubir Sahai who has devoted a lot of time to the study of village conditions, community development and village ra; or whatever it is This measure should be withdrawn, at least the amending part of it should be withdrawn No village panchayat should be invested with judicial authority

I shall point out one instance and finish In Berar there have been nyay panchayats established I know the history, but I would like to know from the hon M nister how the nyay panchayat is functioning in Berar Everybody feels almost terror-stricken if he is to get justice at their hands because words like adalat and insaf are used I would like to say the people would feel that they would have to face a devil if they go for justice to a nyay panchayat This is the position And therefor nyay panchayats are today almost defunct

Since time is too short with these few words I appeal to the Home Minister to withdraw the amending part of the B II Give them a trial as social service agencies let them gather experience and then you advance Do not hasten too fast, hasten a bit slowly

श्री म० ला० दिवेंबी उपाच्यक महोदय मुझे दो चार बातें कहनी है। हम ग्रामोण जीवन का ग्रनुभव किये बिना यहा गावो के लिए कानृन बनाते है। इस कारण बडी बडी परेज्ञानिया पैदा हो जाती है।

उत्तर प्रदेश में न्याय पचायते हैं। लेकिन हालत यह है कि गुढा ऐलीमेंट चुनाव में झा जाता है। वे लोग लाठी के बल पर झा जाते हैं। झाग लगा देने की बसकी स चुनाव जीत जाते हैं [मी म॰ ला॰ डिरेदी]

भौर सरपच बन जाते हैं। मैं भाषके सामने एक गाव की पंचायत का हाल रखना बाहता <u>ا</u> ا जरिया प्राम की न्याव पचायत में एक झादमी के बिलाफ सरपच ने फैसला दिया । उसके दल वालो ने सरपच को उसकी कुर्सी से उठा लिया भीर उसके पैर एक रस्सी से बाघे भीर बैलगाडी में बाघ कर उसे दौडाते हुए नदी के किनार ले गये और सरपच लुढकता हुझा चला गया, भौर नदी पर जाकर उसके टुकडे टुकडे करके नदी में फैक दिये गये। भगर भाज सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी म्यायधीश की यह हालत हुई होती तो सारे हिन्दुस्तान के अखबारो में तहलका मच जाता । लेकिन श्रापको इस घटना की सबर तक नहीं पहुंची । गाव पंचायतो के पास कोइ पुलिस नहो है, उन के पाम किसी किस्म की सहायता नही है भौर जब वह न्याय करने बैठते है तो उनके पास न्याय का ज्ञान नही होता, वह किमिनल प्रोमीज्योर कोड या पीनल कोड को नही जानते । जब तक कि म्राप उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नही रखते तब नक वह इस काम को कर सकेंगे इसमें मझे जका है । लेकिन यदि ग्राप यह ग्रधिकार देने ही हैं तो जब तक ग्राप उनको बिसी प्रकार का प्रोटेकान नही देगे तो इस कानन में कोप फायदा होगा । जैसा मरे मित्र ने नही कहा यह पचायत राज्य न होवर गुडा राज्य स्थापित हो जायेगा ।

इन शब्दो के साथ मैं मत्री महोदय से कहूगा कि उनके सिद्धान्त भौर ग्रादशं तो अच्छे हैं लेकिन उनको व्यावहारिक रूप देने में जिन चीजो की ग्रावक्ष्यकता हैं भगर बह उनको नहीं करते तो काम-याबी नहीं हो सकती । इन शब्दो के साथ मैं कडूगा कि मंत्री महोदय इस पहलू पर भी विचार कर लें।

भी पहाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, सभी हम दिल्ली पचायत राज्य विधेयक के बारे में विचार कर रहे हैं । साथ ही दूसरा विचार यह भी है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मैं नही समझ पाता कि किस विचार का समर्थन करू।

जिस विषेयक पर हम विचार कर रहे है वह पूर्ण नही मालूम होता । दिल्ली में जो बात होती है उसका ग्रसर हिन्दुस्तान के सारे राज्यो पर पडता है । यहा पर हम जो पचायत राज्य एक्ट बनायेंगे दूसरे राज्य उसकी नकल करेंगे । हम गावो में पचायतो को विकास का काम देने जा रहे हैं भौर न्याय की भोर बहुत सा काम देने जा रहे है। तो क्या यह उचित होगा कि जो विघयक विकाम के विचार क पहले बना था उसको यहा पास किया जाय। न ही यह उचित है कि इसका प्रवर समिति क सूपूर्द कर दिया जाय । क्योंकि इमें जा विकास का विचार है वह नही आ सकेगा । मै नही जानता कि इसका वापस रेत का प्रावीजन है या नहीं । पर मेरे विचार में तो इमे वापम ले लेना चाहिए प्रौर दूसरा प्रादर्श बिल लाना जाहिए, चाहे आप उसका कुन्द्र भी नाम रग्वे, **प्रौर वह मा**रे हिन्दुम्तान ने लिए हो । यद्यपि सविधान के भनमार इनको गहमत्री ही पेश करेगे पर हाना तो यह चाहिए कि इसको विकास मश्री पेश करे झौर उस विधेयक में पचायत को न्याय का एग्जीक्युटिव का <mark>श्री</mark>र पुलिस का <mark>काम न दिया जाय</mark> क्योकि झगर पत्रायनें न्याय धौर शासन करेंगी तो विकास का काम जो हम उनको देने जा रहे हैं उसको नहीं कर सर्केंगी,

479 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amendment) Bill 480

उस हालत में वे सकाई, स्वास्थ्य प्रादि तरककी के कामों पर ध्यान नहीं दे सकेंगी । मैं बाहता हूं कि ग्राल इंडिया बेसिस पर यहां यह कानून बनना चाहिए। बह न केवल दिल्ली के लिए हो बल्कि सारे देश के लिए हो।

मेरे पास समय कम है, ग्रगर भाप इजाजत दें तो मै इस पर कुछ और भी प्रकाश डाल सकता हू।

उपाध्यक महोदय : ग्रापने को वक्त मुकर्रर किया है उसकी पाबन्दी होनी चाहिए । ग्राप कुछ ग्रीर कह लीजिये ।

भी पहाड़िया : चूकि यह विधेयक हमारे सामने विचारार्थ प्रस्नुत है, हमें यह विचार करना है कि जो धारायें हम मंघोधिन करने जा रहे है वह कहा तक ठीक है :

ग्रभी हैदराबाद में पट्टन चेरू जगह पर पालियामेट के मेम्बरो ने एक कैम्प किया । उसमे हमने विकास पर्वायत, कोग्रापरेटिव सोमाइटीज ग्रौर गिक्षा पर भी विचार किया । जब हम वहा विचार कर रहे थे तो जब हम विकास पचायन पर जाते थे तो ऐंमा लगता था कि मगर हमें कोग्रापरेटिव मोमाइटीज को मकल बनाना है तो पचायन की मदद लेनी होगी, ग्रगर हमें गावों में स्कूल जारी करने है नो भी हमको पचायत की मदद लेनी पडेगी । भ्रब प्रधायतो में भ्रफमर नही होगे। पंचायतों में गाव के चुने हए न्मायन्दे होगे भौर वही सारा शासन करेंगे । लेकिन सवाल यह है कि जिन पंचायत के मैम्बरो को हम गाव की सारी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जिनको हम भपने स्थानीय विकास का काम, स्थानीय प्रशासन का काम और स्थानीय न्याय का दायित्व देने जा रहे हैं क्या उनके लिए हमने कोई काबलियत का स्तर भी रखा है । भगर ऐसा नहीं किया गया तो जो कानून हम बनायेंगे वे किताब में ही रह बायेगा । क्योंकि उस कानून की मंघा वह मेम्बर नहीं समझ पायेंगे । भगर सम्भव हो सके तो इन मेम्बरों के लिए घिक्षा की कुछ क्यालीफ्रिकेशन रखनी चाहिए जिससे कि उनको मालूम हो सके कि उनके लिए क्या कानून बनाया गया है मौर उनको क्या करना है ।

दूमरी बात में यह निवेदन करना बाहता हू कि ग्रापने एक बात कही है...

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रब तो माननीय सदस्य को खम करना चाहिए ।

श्वी झुनझुनवाला : उपाघ्यक्ष जी, यह एक रिवाज मा हो गया है कि हम सारा दोष गाव वालों पर डालने के लिए तैयार हो जाने है, हम लोगों को प्रपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम लोग लोगलाइज्ड दे से किम तरह मे काम करें ग्रौर कहा कहा करें।

मै दो मिनट से ग्राधिक समय बहीं लूगा । यदि मै इस पर बोलना चाहूं तो विकास ग्रादि पर बोलने के लिए बहन वक्न की जरूरत होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्राप पाच मिनट ले सकने है ।

भी झुनझुनवाला । पाच मनट लूं भी तो भी पूरा नही होंगा । इमलिए मै कम ही समय लूना।

उपाघ्यक्ष महोबय : तो फिर दो मिनट ही ले लीजिये ।

भो झुनझुनबाला में यह कहना बाहता हूं कि जैसा हमारे भाई पंडित ठाकुर दास जी ने कहा कि यह जो ममी पंचायतें चल रही है वह चलती रहें।

[श्री सुनसुनवाला]

परःत यदि हम कोई भी घमेडमेंट लाकर ऐसा पचायत राज बिल बनाना चाहते है जिसमें कि गाव वालो को म्रपने काम करने की स्वाधीनता मिले भौर वे काम कर सके, तो इसके लिए यह एक बहुत बड़ा भ्रच्छा मौका है । एक बिल हमारे सामने यहा दिल्ली में भाया हमा है ग्रौर पालियामेंट को ग्रधिकार है कि उस बिल को सागोपाग रूप से बनावे जो कि दूसरे राज्यो के लिए भी झनु-करणीय हो । हमारे भाई शर्मा जी जो कि बहुत कानूनी है कहते है कि यह तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है । परन्तू मैं ने इन को कहा कि यह स्टेट का काम है, यह बात तो ठीक है, परन्त हम यह बाहते है, जैसा कि मेरे भाई श्री रघुबीर सहाय ने कहा है...

15 hrs.

उपाय्यक्ष महोदय क्या उन्होंने श्रापको इजाजत दे दी है कि उनकी राय पालियामेट में बता दी जाय ?

भी सनसनवाला उहोन कहा कि हमें तो बोलने के लिये समय नहीं मिलेगा, मेरी राय ग्राप बता दे। किन्तू मै उनका विरोध करता ह और मैं श्री रघवीर महाय का भनुमोदन करना हु । भ्रगर हम चाहते है कि गाव वालों को वास्तव में लाभ हो, तो हमें ग्रच्छी तरह में विचार करके पंचायत राज बिल बनाना चाहिये । यह नहीं वरना चाहिये कि एक ही हफ्ते में इस काम का कर दिया जाय । प्रगले सेशन तक ग्रच्छी तरह सोच-विचार करके इस प्रकार का बिल लाया आय. ताकि गाव वालो को वास्तव म लाभ हो। श्री साहिलकर कहते है कि वे लोग गण्डे, बदमाश झौर चोर होते है। उन्होने सब तरह के एडजेक्टिव उनके लिये इस्ते-माल कर डाले है। हमें भी गावों में जाने

का मौका मिला है। मैं कह सकता हं----जैसा भी भागव ने भी कहा है--कि वे जो कुछ भी काम करते है, उसके लिये हमारी पोलीटि-कल पार्टीज रेस्पासिबिल हैं। बे लोग झापस में लडते है, यह सब ठीक है, लेकिन बडे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यों में मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी पदो के लिये लडते है मौर उनमें मत-भेद बलते हैं भौर वे मत-भेद गावो तक पहच जाते है। जैसा कि श्री रघुवीर सहाय ने सुझाव दिया है भौर पडित ठाकूर दास भागव ने भी कहा है, इस प्रकार की पंचायतें बनाई जानी चाहिये, जो कि पोलीटिकल पार्टीज से एक-दम भलग रहे भौर गवर्नमेंट के ऊपर के माफिशियल्ज मे भी उनका कोई सम्बन्ध न रहे। इस प्रकार टुकडे टुकडे करके बिल लाने से गाव वालो को फायदा होने के बजाय नुक्शान होने की मधिक सम्भावना है मौर जितनी बुराइया हम लोगो मे है, वे सब ब्राइया नीचे भी खब जोर से जड पकड लेगी । उन पचायतो को गावो की झाधिक उन्नति की योजनाये बनाने का प्रधिकार दिया जाना चाहिये और दूसरी पावर्ज भी उनको दी जाये। यह ठीक है कि झारम्भ में वे लोग गलतिया करेंगे, लेकिन कुछ गलतिया करके ही सुधार होगा। अगर हम इस प्रकार का काई बिल नहीं लायेगे, ता जितनी बराइया यहा पर है. वे सब गावों में भी प्रवंश करेगी श्रीर उन लोगा को बहुत नुक्शान होगा।

भी झजित सिंह (भाटेण्डा---गंक्षत अनमचित जा-िया) जनाब सभापति जी, मै आपका शुक्रिया घदा करता ह कि धापने मुझे भी टाइम दिया है । श्री रघुबीर सहाय ने जो धर्मेडमेंट रखा है, उसको सपोर्ट करता हू धौर चाहता हू कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्व किया आये । भीर खूब सोच विचार के बाद धगले सेछान तक इस बिल को लाया जाये ।

श्री साहिलकर झौर श्री द्विदी ने पंचायतो की बहत सी कमियों का जिक किया है झौर कई मिसालें भी दी है। पजाब में भी इस तरह की बहन सी मिसालें है। लेकिन मैं भर्ज करना चाहता ह कि हम मारे हिन्द्स्तान में कहते था रहे है कि हमने यहा पर पंचायत राज कायम करना है झौर हमने एक डेमोकेटिक सिस्टम को चलाना है । इसलिये चाहे मक्खी ही क्यो न हो, हमको निगलनी ही पडेगी । इस सिलसिले में तजुर्बा करने के लिये यह पचायत राज बिल लाया गया है। यह एक रोशन मीनार का काम देगा ग्रौर जो तजर्बा किया जा रहा है, उमसे हम नतीजा निकालेंगे कि क्या सारे हिन्दुस्तान में पचायत राज कायम करना जरूरी है या नही ।

इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया गया है कि पचायत को सौ रूपया जुर्माना करने का हक होगा । मै कहना चाहना हू कि यह रकम बहन ज्यादा है। सब जान रे हैं कि गावों में गटबन्दी होती है । काई भी घर पोलीटिक्ल झाइडिया-लाजी से अलग नहीं है। हर एक आदमी किसी न किसी पोलीटिकल पार्टीज मे मिला जुला होता है । इसी तरह पचायते भी पोलीटिकल पार्टीज का शिकार है । प्रगर हम उनको सौ रुपया जर्माना करने को इजाजत देने हैं, तो वहा बडी ग्रापा-धापी होगी । वे चाहे जिसको जर्माना करते रहेगे । में यह पूछने की इजाजत चाहगा कि क्या हमारे गावों में ऐसे लाग है, जो सौ रुपया देने की हिम्मत रखने हैं । म्राजकल के जमाने में इतनी महगाई है, खाना खाने को नही मिलता है। शहर में भी ऐसे लोग कम होगे, जो कि सौ रुपया जुर्माना दे सकते हो, तो फिर गावो में ऐसे मादमी कहा होगे। भगर कोई जुर्माना रखना है, तो बह दस रुपये तक रख दिया आये । उससे ज्यादा रखना ठीक नही है।

मैं इस सुझाव को भी मपोर्ट करता ह कि सरपचो झौर मेम्बर्ज की कुछ न कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन्ज रखी जायें। भगर न रखी जायेंगी, तो वे लोग भाषा-धापी कर सकने हैं। उन लोगो में भ्रखलाक बहन कम है। इसलिये वे दूसरो पर कीवड उछालना भ्रौर तरह तरह की नाजायज बातें करना जानने है। वहा शराब का भी इस्ने-माल होता है और नाजायज तौर पर बेगार भी ली जाती है। गावो में कास्टिज्म भी मौजुद है। जिस ग्रादमी की मदद करनी होती है, उस से दस पन्द्रह दिन काम करा लिया जाता है । दूसरा ग्रादमी चाहे कितना धच्छा हो, लेकिन उमके खिलाफ, तरह तरह को चर्चा की जाती है ग्रौर उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाये जाने है। इस-लिये यह जरूरी है कि उन लोगो के लिये एजुकेशन का कोई स्टैंडई हो ।

पचायनो में हरिजनो को पूरी नुमायदगी मिलनी चाहिये । भ्राजकल हरिजनो को नुमायदगी नही दी जाती है । भ्राध्र में एक विल भ्रा रहा है, जिसमें को-म्राप्शन रखी गई है । जहा कही भी इलेक्शन के जरिये हरिजनो को नुमायदगी न मिले, वहा को-म्राप्शन होना निहायन लाजिमी है ।

हम मे पचायतो को बहुत ज्यादा पावर्ज देने की मोच रग्धी है । मेरे दिमाग मे यह उलझन आती है कि प्रगर हम इन पचायतो को बहुत ज्यादा पावर्ज दे देगे , तो फिर थाने भौर थानेदार किम लिए है । पचायत वाने तो ग्रपनी मरजी मे किमी को निक्कम्मा भौर किमी को ग्रच्छा ठहराते है । ग्रगर पचायतो को इतनी पावर्ज देनी है , तो क्या पुलिस सेवा समिति बन कर रह जायेगी, या उस का भी कोई फक्शन होगा ?

भी धादव (वारावकी) : उपाघ्यक्ष महोदय, इस सदन में भ्राज जो पचायत राज्य [श्री यादब]

विधेयक प्रस्तुत है, उस के बारे में मैं कहना बाहता हूं कि जहा तक सही मायने में पंचायत राज कायम करने का सम्बन्ध है, वह विधेयक अपूर्ण है। ध्तारीख को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक निर्देशन था कि घब सरकार गाव पचायतो को मधिक से मधिक मस्तियारात देगी भौर पचायते ही सही माने में नए जनतंत्र की स्थापना कर सकेगी झौर उनके द्वारा ही हमारा नियोजन का काम किया जायगा । परन्तु जब हम इस विधेयक को देखते हैं, तो पाते है कि जिस तरह के मपूर्ण कानून उत्तर प्रदेश, पजाब झौर झन्य राज्यो में है, उन की ही नकल यहा की जा रही है। इस विषेयक में झौर उत्तर प्रदेश के पचायत राज कानून में कोई विशेष ग्रन्तर नही है। यह जो विधेयक प्रस्तुत है, उम में केवल न्याय ग्रदालतो की भोर ही भ्रधिक ध्यान दिया गया है । जहा तक पचा-यत के दूसरे भगो का प्रश्न है. उस तरफ बिल्कुल घ्यान नही दिया गया है । १९४४ के पचायत राज एक्ट में जब हम ग्रामगज के तत्व को खोजते है, तो हम उस में कुछ भी नही पाते है । बल्कि हम पाने है कि इस सारे विधे-यक की ग्रगर एक धुरी है, तो वह है 'प्रैस्काइन्ड ग्रथारिटी "। प्रेमकादबुड अयोरिटी कौन है ? प्रेमनाइब्ड आयोरिटी चीफ कमिशनर है कार्लक्टर है ग्रीर वे सब सरकारी नौकर है जाकि उनके मानहन है गोया यह जो पंचायत राज एक्ट है, 7 जो ग्राम सभाये है, ये जो न्याय ग्रदालने हैं से सब चीफ कमिदानर की धुरी पर धुमेगी सीर उसी के मातहत रहेगी । उनको काई ग्रांधकार नही मिल रहे हैं। अगर हम चाहने हैं कि ग्राम स्वावलम्बी बने और मही मानों में बने तो हमको ग्राम सभाग्रो को और ग्रधिकार देने होगे और इस स्रोर भी ध्यान देना चाहिये कि क्षाम सभाष्मो के जो सदस्य चुने जायेगे वे कैसे चुने जायेंगे, उनके चुनाव का क्या ढग होगा ।

कुछ माननीय सदस्यो ने कहा है कि वहां थर कुछ गलत लोग चुन कर चले जाते हैं मौर एक तरह से गुडा राज वहां कायम हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? पंचायत राज को हम दोव नहीं दे सकते हैं। जहां तक पथायत राज कायम करने का प्रश्न है, इसमें दो रायें नही हो सकती हैं कि यह कायम होना चाहिये। कोई भी चीज कितनी भी मण्छी क्यो न हो , ग्रगर उसको भच्छे ढग से नही किया जाएगा तो उसका नतीजा भ्रच्छा निकलने की भाषा नहीं की जा सकती है और उसकी जो झात्मा है वह मर जाती है झौर दूसरे ढग की ही चीज हमारे मामने झाती है। इस वास्ते सब मे पहले मै समझता हू हम को चुनाव की पढति की भोर व्यान देना होगा । माज चनाव किस तरह मे होते हैं ? चुनाव हाय उठा कर होते हैं। गावो में ज्यादातर गरीब लोग श्रौर हरिजन लोग रहते है । हरिजनो के प्रतिनिधित्व की बात भी भाज की जानी है। परन्तु यदि भाज उसी तरह से पालियामेंट भौर म्रमैम्बली के लिए चुनाव होने है भौर गुप्त बग में होते हैं, उसी तरह में बहा भी हा तो काफी ग्रच्छे नतीजे निकलने की ग्राशा की जा सकती है। इस में शायद हरिजनों की विशेष स्थान देने की जरूरन भी महसूस न हो झौर न ही गलत ढग में लोग चुन कर ग्राये। इस से बही लोग चुन कर ग्राने की ग्राणा कर मकने है जो मार्वजनिक मेवा में विश्वाम करने है जन-सेवी है और जिन पर लोगों का विध्वास होगा और जिन के बारे में यह भी पता होगा कि ये ईमानदारी के माथ काम करगे । उस नगीके में ऐमें ही लोग ग्राम मभामा मौर ग्राम पचायतों में चुन कर ग्रा सकेंगे । परन्तु मुझे अफमोम के माथ कहना पडता है कि इस भ्रोरनमरका भ्रौरन ही भविक माननीय सदस्यों का ध्यान गया है। इन लाइस पर इम बिल में तरमीम किया जाना, मेरे विचार में, श्रीमन् भावश्यक था।

अहा तक प्राम पचायतों का प्रश्न है मन्नी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वो बहा का दारोगा होता है उस पर पंचायत के 🖬 मोगों की जीवन रक्षा का दायित्व होता है । हिमाज मैं देख रहा ह कि जन-प्रतिनिधियो के बीच एक झोर झौर दूसरी झोर राज-कर्म-चारियो के प्रधिकारो के लिए रस्सा कशी चल रही है। राज-कर्मचारी यह नही चाहते कि जन-प्रतिनिधियों के हाथ में ग्रधिक ग्रधिकार जायें. ग्राम पचायतो को भ्रधिक भ्रधिकार मिलें । जहा-जहा भी ग्राम पचायतें कायम होती हैं वहा उन वहा के प्रधान भवश्य होते हैं परन्त न उनको कोई भ्रधिकार दिये जाने हैं ग्रौर न ही वे भपने को सुरक्षित मनुभव करते हैं। उनके भाषीन वहा के छोटे-छोटे कर्मचारी भी नहीं होते हैं। ग्राम सभाम्रो से सम्बन्धिन जो ग्रधिकारी होते हैं वे चौकीदार, लेखपाल या पटवारी झौर पचायत का मैकेटी होते है। इन तीनो ग्रधिका/ियो के ऊपर न ग्राम पंचायन का सामहिक रूप से मौर न मकेले प्रधान का ही कोई ग्रधिकार होता है। ग्रगर ग्राम पचायत या उसका प्रधान यह चाहे कि सैकेटी का टामफर हो जाए तो यह भी नही होता है । उसकी शिकायत पर तबादला नही किया जा मकता है। ग्रगर वह चाहे कि चौकीदार को हटा दे तो वह उसे भी नही हटा मकना है। इस वास्ते जब तक इन तीनो श्रधिकाग्यिको ग्राम सभा के मानहत नही किया जाता. जब तक ग्राम सभाग्रो को ग्रौर कछ अधिकार और अधिक ग्रायिक महायता सरकारी सहायता उन टैक्सो में से जो वहा पर एकत्र किये जाते है. नही दी जाती या उनका एक ग्रच्छा स्वासा हिम्सा नही दिया जाता तब तक मैं ममझता ह पचायनो को कायम करने का कोई झर्थ नही है ।

यदि भाप मही मानो में पचायतो के हामी है, सही मानो में चाहने हैं कि ग्राम पचायते ग्रच्छी तरह में भ्रपना काम करे ग्रीर उन के जरिये देश की तरक्की हो, देश का निर्माण हो , तो उन्हें भ्रापको ग्रीर भ्रधिक प्रधिकार देने होगे । साथ ही साथ नियोजन जो भाज भाप ऊपर से चलाने हैं उसको नीचे ग्राम पचायतो के जरिये भ्रापको चलाना होगा । साथ ही साथ नौकरशाही के हाथो से अधि-कारो को छीन कर के ग्राम पंचायतो को ग्रापको देने होगे ।

ग्रब मैं धारा ४४ के बारे में कूछ कहना इसके भन्तगंत प्रेसकाइबड चाहगा । झाथोग्टी की यह प्रधिकार दिया गया है कि धारा १०६ और ११० के मन्तर्गत दडित व्यक्तियों को यम सभा के सदस्य बननें से रोक सके । उनको वोट देने का भी अधिकार नही है एक दूसरी धारा के मताबिक। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता ह कि यहा पर कानून के बहुन में विशेषज्ञ बैठे हए है भौर माननीय मत्री महोदय स्वय प्रेक्टिस भी कर चुके है ग्रौर उनको मालूम होगा कि घाराये १०६ मौर ११० जाब्ता फौजदारी जो है वे किमी सब सटेंटिव ग्राफेन के मातहत किमी को सजा नही दिलवा मकती हैं। ये केवल भाख मिचौली की घाराये है झौर इनके बारे में मैं यह भी कह सकता ह कि ये मविधान के प्रतिकल पडती है। भाप जानते ही है कि इन धारामों के मातहत जब पुलिस मोमबत्ती या दियासलाई या एक बीडी का बडल मजिस्टेट को दिखा देने है नो ग्रभि गक्त को एक साल की सजा सूना दी जाती है। इस तरह की भाख मिचौनी लागो के साथ नहीं होनी चाहिये। १०६ भौर ११० के मन्तर्गन सजा पाये हुए लोगो को उनके बोट के म्रधिकार में वचिन करना या इनके सदस्य चने जाने पर रोक लगाना ठीक नही है। इस पर भी ध्यान दिये जाने की म्रावञ्यकता है।

ग्रन्त में मैं इनना ही कहना चाहता हू कि ग्राज जो यह टेडेमी चल रही है कि मरकारी मधिकारियो के हाथ मौर ज्यादा मजबूत किये जाये, इसको रोका जाना चाहिये मौर ज्यादा में ज्यादा मधिकार पचायतो को दिये जाने चाहिये ।

Shri Tangamani (Madurai): I rise to support the Motion for reference of

489 Delhi Panchayat Raj FEBRUARY 11, 1959 (Amendment) Bill 490

[Shri Tangamani]

the Bill to a Select Committee moved by Shri Ragbubir Sahai. He has already dealt with the reasons why he wants such a reference to a Select Committee. I would like to say that the whole question of panchayats has been canvassed for the last three or four years. The Balwantrai Mehta Committee went into this matter in great detail and their recommendations are now before us. Already several State Governments have taken these recommendations seriously and certain pieces of legislation are already in the offing. I know that Kerala has taken definite steps. In Andhra Pradesh, a Bill has been introduced in the legislature and it is now before a Joint Committee.

I would like to mention—as many of the previous speakers have already mentioned—that there was a camp which was set up by the Community Development authorities in Andhra Pradesh in a place called Pattamcheru. In Pattamcheru, there is a Samiti which is more in the nature of a circle panchayat. They have been demanding the sort of things which have been canvassed in the Report of Shrii Balwantraj Mehta Committee. They have been demanding that more powers should be given, indicating in what way the powers can be used.

When that is the position, my request is that this kind of patch-up legislation is not going to help us at all. I would point out two matters in which the very purpose and the object of the legislation itself is defeated. Here we have stated:

"At present, the Panchayati Adalats have no jurisdiction in respect of criminal cases. It is proposed to invest these Adalats with criminal jurisdiction in respect of certain minor offences under the Indian Penal Code....".

Having said this, I find in clause 16-which seeks to amend sections 53A, 53B, 53C, 53D, 53E and 53F, 53G, 53H, 53I and 53J-of the original Act-under 53C:

"No Panchayati Adalat shall try any criminal case against a person where such person—

- (a) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment for a term of three years or more;
- (b) has been previously fined for theft by any Panchayati Adalat;
- (c) has been bound over to be of good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898;
- (d) has been previously convicted under the Public Gambling Act, 1867, or the Delhi Public Gambling Act, 1955....".

Here certain minor offences are to be tried by these panchayat courts. Having given these powers, why do they go into the question whether he is a previous offender or not? These are all minor offences. Whatever may be the nature of the offence in the past, it is not a matter which has to be canvassed in these panchayat courts

The second point which I would like to mention, to which reference was made, relates to clause 28, which reads:

"After section 83 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:---

'83A. The Chief Commissioner may, by order published in the Official Gazette, direct that any Panchayati Adalat shall not exercise all or any of the powers under this Act for such period as may be specified in the order and such Panchayati Adalat shall cease to exercise such powers for the period so specified' ".

491 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amendment) Bill 492

In other words, not only is supervisory power given, but power is given to completely supersede these panchayat courts

These two things really defeat the very purpose and the objects for which this amendment has been brought forward That is why I request the hon Minister to take the opinion of the House and not rush through this legislation If it is referred to a Select Comm ttee, I am sure that the purpose of even the limited scope of this amendment, which seeks to give more powers to the panchayat courts in line with the powers which have been exercised in many nanchayats today in many of the States, will be served Many useful suggestions could be given If this Bill is rushed through, I am afraid, the point which has been agitating the minds of the people, the whole question of panchayats and co-operatives will not Therefore, I once again be served request the hon Deputy Minister to be kind enough to accept the motion of Shri Raghubir Sahai

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar). Mr Deputy-Speaker, Sir, we had an interesting debate Towards the end of it the tempo of debate naturally rose, when two hon friends one from this side Shri Dw vedi and another from the other side. Shri Khadilkar stated in an overdrawn manner that if there is Panchayat Raj, it is likely to be a goonda ray, provided judicial powers are given to them I had expected this criticism, and, I am prepared to answer not only those charges but also other points rai ed by a number of hon friends

In this connection before I proceed, I may point out that this Panchayat Raj Act was framed by the then Delhi Administration and was accepted by the then Delhi Legislature We had a Part C State in Delhi and they, after full consideration, came to the conclusion that there ought to be a Panchayat Raj Act This was in 1954 Secondly, by that time we had a number of States which had passed similar Acts and had brought them into force Take, for example, the case of the UP Legislature As early as 1947, immediately after the advent of independence, this question of self-government at the lowest rung of the ladder was taken up and an Act passed and implemented On the whole, even in respect of judicial or Nyaya or Adalati Panchayats, may I point out to my hon friends, the Act has worked well

Only the other day I had been in the State of Bihar Both at meetings with social workers as well as officers, I made pointed enquiry as to how the Panchavats in general and judicial panchayats in part cular were workmg I was happy to hear both from the non-official and the official side that on the whole, the Panchayats have been working well

Shri Jhunjhunwala: Your information was wrong

Shri Datar: Two points should be noted in this connection One is that we have to develop the Panchayats as an institut on There is no departure from it at all Let us understand it quite clearly, even though we have to take some risks May I point out to the hon Member

Shri Jhunjhunwala. What I said was your information was wrong

Shri Datar What is the need of repeating what you have said? I have alitady heard it Kindly do not repeat it now (Interruption) When I have heard what he has said, there is no need for repeition

May I point out here that we have to take into consideration the first question that Panchayats have got to be developed We have a directive in the Constitution itself that Panchayats are the lowest limits of our self-rule and therefore they have to be developed

[Shri Datar]

493

Then, a number of State Governments considered the whole question, and I may also refer to a report that submitted by a committee was appointed by the All India Congress Committee It was a committee presided over by Shriman Narayan, now a Member of the Planning Commission and consisted of a number of hon. Members who had administrative experience We had Dr Kailash Nath Shri Jagjivan Ram, Katju, Shri Gulzarı Lai Nanda and Shrı K D Malaviya These friends went into the whole question, and, they stated that judicial panchayats ought to be started as early as possible They traced the history of panchayats in India, and, they have found out that we had such panchayats including judicial panchayats long long ago down the whole history of India, except, naturally, during foreign domination

My hon friend, Shri Daulta contended that during the foreign administration the villages were neglected In a way, it is true, but in another sense, let us understand that the villages—or the village panchayats—as units did carry on their work, perhaps, in a more effective way than under foreign rule

I might also point out, in this connection, to my hon friend Shri Khadilkar that in Bombay or Maharashtra, even before Brit sh administration, we had certain institutions according to which the village became a full and self-sufficient unit. They had different officers, different professions And, I might quote to him the name of Barah Balutedars In fact, the village was made absolutely selfsufficient so that even when there were invading armies which passed by the villages they paid certain indemnity to the villagers and the villages continued their peaceful life, and, to a large extent, a happy life as before

Shri Khadilkar: May I point out that the organisation of Barah Balutedars was a conventional organisation? Does that exist now? That has disintegrated.

Shri Datar: If the hon Member had waited for only two minutes I would have replied him We had a conventional organisation There was administration by certain officers some of whom were even hereditary. These village administrations were in the hands of village people and they carried on their work far better than they did during British or foreign administrations

What happened was this. Especially after the advent of British rule, there was an attempt—let us not say deliberate—to dissolve them and this great institution was more or less dissolved Then, we came across disturbed conditions in which we lost vitality When this question had to be taken up, the Constitution itself laid down in one of the Directive Principles that panchayats have to be developed

Immed ately after the advent of independence various State Governments took up this matter in right earnest, not only so far as the general panchavats are concerned but even with regard to Nyaya or Adalati panchavats. I may also tell the House that in UP the judicial panchayats have been on the whole working satisfactorily I cannot exactly quote the figures-because I have not them before me-but, speaking subject to correction I may say that there were about 3 lakhs of cases disposed of by the judicial panchayats either by getting a compromise between the parties or by deciding on merits wherever it was necessary. In respect of this large volume of litigation-I use that word a general sense-only about ın 8 thousand cases were there in which an application for revision has been preferred to a higher court

Let us take these circumstances into account Let us not be prejudiced by the fact that this experience is likely to be risky also Therefore, it is that the judicial panchayats have to be not only suffered but have to be duly established and proper powers given to them I was very happy to hear Shri Bharucha say that at some time or the other, we have to make an experiment of having the judicial panchayats He had some objections to certain clauses but on the whole I was happy to hear him say that he agrees

There are two schools of thought in this respect One school is led by very high people in life who have stated on a number of occasions that there should be no panchayat raj and that there should be no judicial panchayats as all Only a few days ago, a Judge of the Madras High Court retired and he has stated that the panchayats should never be invested with judicial powers We have the opinion of other eminent persons also

On the other hand, there is another school which says that we have to take the matter in our hand and develop the panchayats m all respects so far as the developmental work and to a large extent adalat administration work is concerned Generally speaking, may I point out that the panchayats have to be developed? In respect of the adalat panchayats, we have also taken some safeguards

I am not going to blame Shri Khadilkar or Shri Dwivedy, and there may be some cases where the work of judicial administration at the village level may not have been satisfactory and might have perhaps led to certain untoward results We have to take the whole thing into account His very State the Bombay State has last year passed an Act known as the Bombay Village Panchayats Act, 1958 and I may invite the attention of Shri Khadilkar to section 75 thereof where larger powers than what we contemplate are given to the judicial panchayats are nyaya panchayats as they are called

An objection was raised that certain sections ought not to have been included in the list of offences that could be tried by them. But we have taken certain safeguards

One safeguard is that these panchayats are at the circle panchayat level It is not at the lower level but at a fairly higher level that these judicial panchayats are established Under section 44 of the Delhi Panchayat Raj Act, there are some qualifications Further, the conditions of some degree of literacy had been laid down in sub-section (4) No person shall be elected or remain a panch of the circle panchayat if he is unable to read and write Hindi or Urdu It has been specially laid down because after all at that level they will have to carry on some work where illiteracy would be a great handicap Certain other usual conditions have been laid down In Section 50, it is said that the sarpanch shall for the trial of every suit or proceedings form a bench of five persons from the panel of circle panchayats to constitute a panchayat adalat So the first safeguard is that you come across a higher level of persons, namely, those who should be members of the circle panchayat and who would be in a position to read the regional language, Hindi or Urdu.

Some sections of the Indian Penal Code have been included Sometimes the offences are a bit high soundingfor instance, explosions, etc But we have to understand that high sounding offences need not necessarily be committed in a very high sounding or grievous manner A theft may be of a lakh of rupees or it may be of a few rupees Even a fountain pen So. might be stolen and it is theft with regard to these, we have laid down certain criteria I believe the objection was taken by Shri Bharucha that some of these offences are fairly serious so far as their nomenclature is concerned and the offender is likely to escape with a light punishment That was his objection But there is provision for this in clause 25 If the Panchayat feels that the offence involved is one for which it cannot award adequate punishment, it shall

[Shri Datar]

-497

submit the case for transfer to a competent court So, if it is found that even though technically an offence is such as to come within the jurisdiction of an adalat court, it is open to it to have it transferred to a regular court provided it finds the offence committed is of a serious nature and that it requires a larger measure of punishment than what they can give. That is another safeguard

There is a third safeguard These adalat panchayats cannot pass a substantive sentence of imprisonmert. The amount of fine that can be imposed is only Rs 100 Clause 16, which seeks to add section 53B to the Act says:

"A Panchayati Adalat may impose a fine not exceeding one hundred rupees but no imprisonment may be awarded in default of payment"

Therefore, you would agree that we have taken certain precautions We are anxious to develop the panchayats in general Those of you who are interested might have noted that we have had at the Nagpur Congress Session a Resolution dealing in a way with the development of panchayats as such Therefore panchayats have got to be developed and we want to develop them even so far as the judicial panchayats are concerned It does not matter if there is any risk

Some hon Members have asked when certain decisions or decrees or orders or sentences are passed by panchayats, what will happen to them to those who are likely to be aggrieved by it? The Government are responsible for keeping law and order and naturally have the responsibility for enforcing the orders of the judicial So, there need not be panchavats any misgiving Even when there are unruly elements, they have got to be checked That is the primary duty of every civilised Government Therefore. Government will see to it that if there is any such occasion, things

are set right Government have preventive powers also. Government will take all the necessary steps for keeping the law and order in the village, for keeping these unruly or antisocial elements under check. Let there be no difficulty about it

Certain comments were offered on the merits of the Bill I would not make a reference to all of them I think Shri Naval Prabhakar referred to the patwars and said that he is in the position of a supervisory officer That is entirely wrong Section 16 of the Act states the position the other way, it is the correct way As a Government officer, he is not entitled to be a member of the panchayat, much less a member of the judicial panchayats Government servants are not entitled to be candidates for circle panchayats or judicial panchayats

Secondly, all that he has been called upon to do is that whenever any information or aid is necessary for the panchayat, then it is his duty to help them My hon friend did not read it correct and raised a point which has no substance Section 16 of the Act says

"The Patwari shall be bound to assist the Pradhan or Up-Pradhan of a Gaon Punchavat in the performance of the Gaon Panchayat's dut ε_{S} relating to land management work under Chapter V of the Delhi Land Reforms Act, 1954, in respect of the village of his halka situated in the jurisdiction of the Gaon Panchayat in the manner and to the extent prescribed under that Act"

There also, he is not called upon to give any general help so as to excite some suspicion in the mind that he is likely to exercise undue influence or domination over the members of the panchavat But some information has got to be given and some aid has to be given. That is the reason why the patwari comes into the picture.

499 Delhi Panchayat Raj MAGHA 22, 1880 (SAKA) (Amendment) Bill 500

So far as the Scheduled Castes are concerned, may I point out that the two Acts together-the Delhi Land Reforms Act and the Delhi Panchayat, Raj Act-deal with the question of the Gaon Sabhas and panchayats, etc. That is the reason why, only yesterday, in the Bill that was passed by this hon. House, there was already a provision for reservation of seats in Gaon Panchayats for women and Scheduled Castes. Therefore, the objection has been met.

Then, the hon. Member contended that there were different authorities who were likely to come into conflict with each other. So far as the question of the Delhi Municipal Corporation is concerned, they deal only with general questions common to all the villages. Then, the normal work of a village panchayat will have to be carried on according to the provisions of the Delhi Panchayat Raj Act. The House will see that a similar provision has been made in the Delhi Municipal Corporation Act. There are certain subjects in respect of which they are bound to act They are imperative subjects. They are such that they can take over, provided they consider it necessary or advisable to do so Therefore, they have got discretionary powers also. Thus. it will be open to them to carry on the work as they please without any hindrance at all

Incidentally, a question was raised whether they would have as to sufficient funds. I would say, whenever it is necessary the Government would consider the question of placing necessary funds at the disposal of the panchayats whenever they have to carry on work, especially developmental work. Some sort of taxation might be necessary, but as one hon Member suggested, namely, that all the revenues of the village should be given to the panchayats, it may not be practicable in the first place. In the second place, would that be sufficient for the development of the village? There are occasions where at higher levels Government will have to place

320 L.S.D.---8

more funds at the disposal of the village hodies. Let us, therefore, take into account the development of India as a whole and the development ď the rural population in particular Therefore, it is essential that the question of funds should not be a matter on which the hon. Members should entertain any suspicion, for, we are anxious to develop rural areas and develop the institution of panchayats. If any demand is made or any requirement is let known to us, it will be considered

Then, something was stated about the powers of suspension as contained in clause 28 May I point out that even in higher bodies like the legislatures of States or in the Delhi Municipal Corporation Act, there are powers to supersede. This is a power of suspansion only and there is an amendment moved by an hon Member

Shri Tangamani: They do act supersede a high court or a district court

Shri Datar: There is no question of high court or district court. Unforsunately, a number of hon. Members do not clearly make a distinction petween the judicial authorities and executive authorities The executive authorities have their own functions. Now, Shri P. R. Patel is enamoured of the judiciary; we are also enamoured of the judiciary. But so far as legitimate functions are concerned, and so far as the executive functions are concerned, you have got to trust us We are the executives here and there are executives in the States We have an elected legislature and therefore, if there are any

Shri P R. Patel: What about the revisionary powers'

Shri Datar: You are there to check us. We are answerable to you Therefore, let us not have a misunderstanding. So far as the judicial and executive functions are concerned, they are entirely different subjects There are matters which can be

[Shri Datar]

101

tackled only by the executive effectively and not by the judiciary. There are matters where questions on rights and obligations arise, the judiciary has to be approached and it has to tackle them.

Shri P. R Patel: May I submit one thing? What about the powers given to the Additional District Mag strates so far as the revision of the orders are concerned?

Shri Datar: I shall come to that Only when there is proper work for a judicial body should we approach the judicial body Otherwise not. I find a general tendency that a number of hon. Members are absolutely doubtful about the work that the executive carries on, and they believe that the nanacea or salvation lies in keeping the work under the judiciary Now. the work that we are carrying on cannot in any way be tackled by others. There are the limbs of the Government each limb having its own legitimate functions. Therefore, you will not kindly ask us to be under, in a way, the judiciary, where we have got to do our own functions and for which we are answerable to you That is a point which may be kindly understood.

As I have said, the judiciary is a hody which has to be respected in respect of their work, and we are giving them full independence. We are always following their directions whenever they pass directions so far as the questions before them are concerned.

Shri M. L. Dwivedi[.] Under the orbit of

Mr. Deputy-Speaker: Order, orden We have taken much time

Shri Datar: May I point out one circumstance? With regard to the conflicts between the different bodies, it is true that there are development councils but they were temporary bodies because the Panchayat Raj Act had not been brought into operation Therefare, there would be no conflict now, and all the work, either administrative or developmental, will be carried on by the panchayats, and there would be no conflict of any kind at all.

Mr Deputy-Speaker: I shall now put Shri Raghubir Sahai's amendment to the vote.

Shri Raghubir Sahai: Before you put that question, I would like to draw the attention of the hon Minister to the fact that m his very elaborate speech he did not mention one single word even about my amendment

Shri Datar: I plead guilty to the charge

Mr Deputy-Speaker: I understood that he did not agree to it.

Shri Raghubir Sahai: He may not agree, but that is a different matter

Mr. Deputy-Speaker: What is the reaction of the hon Member?

Shri Raghubir Sahai: He has not asked me to withdraw it

Shri Datar: I am requesting him to withdraw if through you

Shri Raghubir Sahal: I beg leave to withdraw the amendment (Interruptions)

Some Hon Members: Put it to the vote

Mr Deputy-Speaker: If the House is not going to give permission to the Member to withdraw, I shall put it to the vote of the House

The question is

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Pandit Thakur Das Bhargava,

Shri Radha Raman, Shri Raghubar Daval Misra. Shri Vizhwambhar Dayal Tripathı. Shri Mool Chand Jain, Shri K. T K. Tangamani, Shri Khushwaqt Rai, Shri Ajit Singh Sarhadı, Shri Samat Prasad, Shri Ganpati Ram, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H С Dasappa, Shri Naushir Bharucha, Sardar Hukam Smgh. Shri Jamal Khwaja, Shri Shivram Rango Rane, Shri Naval Prabhakar, Dr. Sushila Nayar, Shri Raghubir Sahai-the mover, with instructions to report by the first day of the next session.

The motion was negatived

Mr. Deputy-Speaker: The question

"That the Bill further to amend the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, be taken into consideration"

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question

"That clauses 2 to 29 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 to 29 were added to the Bill.

New Clause 30

Amendment made

Page 10, after line 17, add-

"30 In section 102 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely --

(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following'"

[Shr: K. S Ramaswamy]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That New clause 30 be added to the Bill."

The motion was adopted.

New Clause 30 was added to the Bill.

Clause 1,--- (Short title)

1m ndment made

Page 1, line 4,-

for "1958" substitute "1959".

[Shr. Datar]

Mr. Deputy-Speaker: The question

"Clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made

Page 1, line 1, ---

for "Ninth Year" substitute "Tenth Year"

[Shri Datar]

Mr Deputy-Speaker: The question 18.

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended. was added to the Bill.

The long title was added to the Bill. Shri Datar: I beg to move:

"That the Bill, as amended, he passed"

Mr. Deputy-Speaker: The question is

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.